आर्थिक मामिला मन्त्री माननीय नरेश कुमार शाहीले

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को

# बजेट वक्तव्य

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार

## आर्थिक मामिला मन्त्रालय

धनगढी, कैलाली

२०८०

**माननीय सभामुख महोदय,**

१. नेपालको संविधानको धारा २०७ बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रीको हैसियतले यस गरिमामय प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। आर्थिक विकास र सुशासनमार्फत नागरिकका विकास आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी तयार गरिएको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम यस सम्मानित सभामा पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु।

२. यस अवसरमा सर्वप्रथम म लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्ष लगायतका आन्दोलनका क्रममा अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नु हुने ज्ञात अज्ञात सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु।

३. प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा संविधानप्रदत्त मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व, पन्ध्रौं आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य सहितका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचनाका साथै प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता उपर माननीय सदस्यबाट प्राप्त सुझावलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छ। त्यसैगरी, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, निजी तथा सहकारी क्षेत्र, विद्वतवर्ग र आम नागरिक लगायत सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेत आधारका रूपमा लिएको छु।

४. प्रस्तुत बजेट, सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थापना पश्चात प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बजेट हो। समग्र सुदूरपश्चिमबासीमा उत्साह र हौसला बढाइ गौरवपूर्ण सुदूरपश्चिम निर्माणमा प्रतिबद्ध भई श्रम र उत्पादनमा लाग्न अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यका साथ यो बजेट तर्जुमा गरेको छु।

५. उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहलगानी वृद्धि गरी समतामूलक आर्थिक विकासमार्फत **"आत्मनिर्भरताउन्मुख समृद्ध सुदूरपश्चिम"** को प्रादेशिक लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छु।

६. प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारको वित्त व्यवस्थापन, संस्थागत संरचना, मानव संशाधन र आर्थिक सम्भाव्यतालाई प्रभावकारी परिचालन गरी दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण, स्वरोजगार र उद्यमशिलता विकासतर्फ केन्द्रित रहेको छ।

**माननीय सभामुख महोदय,**

अब म सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक अवस्था र चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।

७. आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (उपभोक्ताको मूल्यमा) रु. ३ खर्ब ७६ अर्ब ३३ करोड रकम रहने अनुमान रहेको छ। जुन अनुमानित राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७ प्रतिशत हो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि यस्तो हिस्सा ७ प्रतिशत नै रहेको थियो।

८. चालु आर्थिक वर्षमा कुल सरकारी खर्च रु. २७ अर्व ९६ करोड ७८ लाख ९३ हजार अर्थात् विनियोजनको ७६.११ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान छ। कुल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च रु. १० अर्व ६७ करोड ७९ लाख २ हजार अर्थात ७८.१७ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च रु. १७ अर्व २८ करोड ९९ लाख ९१ हजार अर्थात ७१.६१ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ।

९. चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट रु. ८ अर्व १६ करोड ४३ लाख ३५ हजार र समानीकरण अनुदान बापत रु. ७ अर्व ८८ करोड १५ लाख ६२ हजार गरी प्राप्त हुने संशोधित अनुमान छ। रोयल्टीतर्फ रु. ५ करोड ९५ लाख ८९ हजार प्राप्त भएको छ। आन्तरिक स्रोततर्फ रु. २ अर्व परिचालन हुने अनुमान गरिएकोमा जेठ मसान्तसम्म रु. १ अर्व २० करोड ७२ लाख ५४ हजार असुली भई आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा रु. १ अर्व ४१ करोड २४ लाख ९८ हजार प्राप्त हुने संशोधित अनुमान छ। यसरी राजस्व बाँडफाँट, समानीकरण अनुदान, रोयल्टी र आन्तरिक राजस्वबाट जम्मा रु. १७ अर्व ५१ करोड ७९ लाख ८४ हजार प्राप्त हुने संशोधित अनुमान छ।

१०. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु. ७ अर्व ५३ करोड ३७ लाख ३७ हजार बचत हुने अनुमान गरिएकोमा सो रकम रु. ७ अर्व १५ करोड ३८ लाख ३३ हजार कायम भएको छ।

११. चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय सरकारबाट समपूरक अनुदानतर्फ रु. ७६ करोड ५० लाख प्राप्ति हुने अनुमान गरिएकोमा २०८० जेठ मसान्तसम्म रु. ३२

करोड २५ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु. ७९ करोड ७८ लाख प्राप्ति हुने अनुमान गरिएकोमा रु. ३९ करोड ८९ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ रु. ६ अर्व ९८ करोड ८० लाख प्राप्ति हुने अनुमान गरिएकोमा रु. २ अर्व ५२ करोड ३ लाख ६६ हजार प्राप्त भएको छ।

१२. चालु आर्थिक वर्षको प्रमुख आर्थिक सामाजिक परिसूचक र तथ्याङ्क समावेश गरी तयार गरिएको **आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८०** प्रदेश सभामा पेश गरिसकेको छु।

**माननीय सभामुख महोदय,**

अब म **बजेट प्रणालीमा देखा परेका मुख्य चुनौती** प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।

(क) प्रदेश सरकारको आयमा संकुचन आएको हुँदा स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको छ। विनियोजन दक्षताको कमी र आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रथामिकीकरण हुन नसक्दा पुँजीगत खर्चलाई उपलब्धिमूलक र पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिएको छैन।

(ख) प्रदेशको आन्तरिक राजस्व परिचालन अपेक्षित रूपमा हासिल हुन सकेको छैन। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा साधनस्रोतको वितरण पर्याप्त नहुनु, सन्तुलित र न्यायोचित नहुनु तथा सरकारी खर्च प्रणालीमा आर्थिक अनुशासनलाई संस्थागत गर्न नसकेको अवस्था विद्यमान छ।

(ग) प्रदेश गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनामा स्रोत विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत दक्षता नहुनु र आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेका कारण आयोजनाको लागत वृद्धि भई थप दायित्व सिर्जना भएको छ। जसको कारण पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र दिगो आर्थिक विकासका क्रियाकलापहरू विस्तार हुन सकेका छैनन्।

१३. उल्लिखित चुनौती सम्बोधन हुने गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवर्धन, रोजगारीका अवसर सिर्जना, गुणस्तरीय र दिगो पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखी प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छु।

१४. उपलब्ध सार्वजनिक स्रोत साधनको समुचित र प्रभावकारी परिचालन गरी प्रदेशको सन्तुलित विकास सुनिश्चित गर्न बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता तय गरेको छु।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका उद्देश्य यसप्रकार छन्:

(क) **उत्पादनमूलक क्षेत्रमा** सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहलगानी वृद्धि गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने।

(ख) कृषि तथा पशुपन्छी, वन तथा जडिबुटी र एकिकृत-पर्यटन क्षेत्रको व्यावसायिकरण र बजारीकरण गर्ने।

(ग) शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र आवास जस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा लगानी बढाइ सामाजिक विकास र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने।

(घ) एकीकृत, गुणस्तरीय र दिगो पूर्वाधार विकास गर्ने।

(ङ) सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न प्रशासनिक, कानुनी एवम् विकास व्यवस्थापन सम्वन्धी प्रणालीगत सुधार गर्ने ।

**माननीय सभामुख महोदय,**

अब म बजेटका उद्देश्य पूरा गर्न तय गरिएका **प्राथमिकता** प्रस्तुत गर्दछुः

(क) कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरण,

(ख) पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, संरक्षण र प्रवर्द्धन तथा एकिकृत पर्यटन सर्किट विकास,

(ग) शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि, गुणस्तर सुधार एवम् विशिष्टिकरण,

(घ) वन, जैविक विविधता तथा जलाधारको संरक्षण र प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो उपयोग,

(ङ) उद्यमशिलता विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण,

(च) युवा, खेलकूद, भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको संरक्षण, प्रवर्धन र विकास,

(छ) लक्षित वर्ग समुदायको सशक्तिकरण, मूलप्रवाहीकरण एवम् सामाजिक-सांस्कृतिक रूपान्तरण,

(ज) प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य र साझेदारी सुदृढीकरण।

**माननीय सभामुख महोदय,**

बजेटले लिएका उद्देश्य हासिल गर्न देहाय बमोजिम सुधार प्रस्ताव गरेको छुः

(क) स्थानीय स्तरबाटै माग भई आएका एवम् प्रदेश आयोजना बैङ्कमा सुचिकृत आयोजना छनोट र प्राथमिकीकरण गर्ने वर्तमान प्रयासलाई संस्थागत गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।

(ख) ठूलो संख्यामा क्रियाकलाप केन्द्रित बजेट निर्माण प्रक्रिया र स्रोत साधन छर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न क्षेत्रगत प्राथमिकता भित्रका ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छु।

(ग) बहुसंख्यक जनताले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति लिएको छु।

(घ) आगामी वर्षदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भएका, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न भएका, जग्गा प्राप्ति लगायतका तयारी पूरा भएका आयोजना मात्र छनौट गरी बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।

(ङ) आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन योजना, कार्यविधि लगायतका सम्पूर्ण तयारी भाद्र महिनाभित्र गरी कार्यान्वयनमा लगिने छ। उक्त कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट एकिकृत अनुगमन संयन्त्र परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

(च) वास्तविक स्रोतको उपलब्धता आँकलन नगरी बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनेछ। हाल कायम रहेका बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजनाको पुनरावलोकन गरिने छ। नयाँ आयोजनाको बहुवर्षीय बजेट

सुनिश्चितता सम्बन्धी निर्णय सिफारिस गर्ने संयन्त्र सहितको कार्यविधि परिमार्जन गरिनेछ।

(छ) प्रदेश गौरवका आयोजना बाहेक अन्यको हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले दश महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा स्रोत सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिनेछ।

(ज) लगानी प्रवर्धन गर्न व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गरिनेछ। उत्पादनमूलक उद्योग तथा कृषि, पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षण गर्न विशेष सुविधा र प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ।

(झ) प्रदेशको आर्थिक रुपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्र, सूचना प्रविधि र हरित अर्थतन्त्रमा जोड दिइनेछ। यसबाट व्यावसायिक कारोबारको लागत घट्ने, कार्यकुशलता वृद्धि हुने र सुशासन प्रवर्धन भई प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुने अपेक्षा गरेको छु।

(ञ) प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारबीच नीतिगत र कार्यक्रमगत एकरूपता आवश्यकता भएकोले बजेट प्रणाली सुधार गर्न प्रस्ताव गरिएका नीतिहरू स्थानीय तहले समेत अवलम्बन गर्ने विश्वास लिएको छु।

माथि उल्लिखित नीतिगत र संरचनागत सुधारले बजेट विनियोजन दक्षता अभिवृद्धि भई निर्धारित लक्ष्य हासिल हुने अपेक्षा गरेको छु।

**माननीय सभामुख महोदय,**

अब म आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका मुख्य-मुख्य क्षेत्रगत कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छुः

**कृषि तथा पशुपन्छी**

१४. उत्पादन लागत न्यूनीकरण गर्दै कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्र विकासका लागि विद्युत, कृषि बिमा, कृषि कर्जा, बिउ, बेर्ना, नश्ल, रासायनिक मल र कृषि यन्त्र उपकरणमा प्रदान गर्दै आएको सुविधा र सहुलियतलाई

निरन्तरता दिएको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र दलहन, मसला बाली र फलफूलमा आत्मनिर्भर हुने गरी **"कृषिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम प्रदेश"** अभियान सञ्चालन गरिनेछ। यस अभियान अन्तर्गत भटमास, ओखर, सुन्तला, स्याउ, अदुवा, खाद्यान्न बीउ, दुध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुने गरी सबै जिल्लामा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। यसका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेको छ।

१५. हालसम्म उपलब्ध गराउँदै आएको कृषि अनुदानमा देखिएका कमिकमजोरीलाई सुधार गरी कृषि अनुदानको समुचित उपयोग गर्न व्यावसायिक कृषि गर्ने कृषकहरूलाई **शून्य व्याजमा ऋणको** व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेश कृषि प्रवर्धन कोषको स्थापना गरी शून्य व्याजदरमा कृषि व्यवसाय कर्जा उपलब्ध गराउन रु. ४ करोड विनियोजन गरेको छ।

१६. साना किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहायता तथा सहुलियतलाई निरन्तरता दिएको छ। बहुतले खेती, नमुना फार्म स्थापना, धान, मकै र भटमास प्रवर्धन, फलफूल बगैंचा स्थापना, बाख्रा, भेडा, च्याङ्ग्रा लगायत पशुपन्छी व्यवसायको प्रवर्धन र बजारीकरणका लागि लागत साझेदारीमा **कृषि एम्बुलेन्स सेवा** सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। दार्चुला र बाजुरा जिल्लामा पस्मिना व्यवसायी र सहकारीसँगको साझेदारीमा व्यावसायिक च्याङ्ग्रापालनका लागि रु. १ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छ।

१७. कृषि उद्यमशीलता विकास गरी कृषि व्यवसायलाई औद्योगिक मूल्य श्रृंखलासँग आवद्ध गरिनेछ। कृषि उद्योग स्थापना तथा विस्तार, कृषि उपकरण तथा प्रविधि हस्तान्तरण, कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तु तथा सेवाको प्रशोधन, भण्डारण एवम् ढुवानी सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको साझेदारी र सहभागितामा जोड दिइनेछ। यसका लागि **वृहत् एवम् विशेष उत्पादन तथा औद्योगिकीकरण कार्यक्रम** सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ।

१८. प्रदेशमा रासायनिक मलको सहज उपलब्धताका लागि संघ सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानमा समावेश नभएका एमोनियम सल्फेट, एस.एस.पी लगायतका रासायनिक मलमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु।

१९. प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई बढावा दिन स्थानीय तह, निजी तथा सहकारी संस्थाको सहकार्यमा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने प्राङ्गारिक पदार्थको सदुपयोग गरी छोटो अवधिमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने कार्यमा प्रयोग हुने मेशिनरी सामान खरिद कार्यमा सहयोग प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छु।

२०. **"स्थानीय कृषिवस्तु उपभोग गरौं; खाद्य एवम् पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गरौं"** भन्ने नाराका साथ रैथाने तथा पोषणयुक्त बाली प्रवर्धन, नवीन प्रविधिको प्रयोग र घरबारी बगैंचा जस्ता कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। विपन्न वर्गको खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका साथै आय आर्जन अभिवृद्धि गर्न लक्षित वर्ग कार्यक्रम संचालनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु। साथै स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको लागत साझेदारीमा खाद्यान्न भण्डार गृह स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

२१. पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाको कार्यबोझ घटाउन साना मेशिनरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि, पशुपन्छी र मत्स्यपालनमा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण खरिदका लागि सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन रु. ६ करोड विनियोजन गरेको छु।

२२. प्रादेशिक कृषि विकास रणनीति अन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। साना सिंचाई निर्माण, मर्मत र खोर तथा गोठ सुधार लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई रु. १६ करोड ७५ लाख वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

२३. राष्ट्रिय पशुपन्छी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत खोरेत, पिपिआर, स्वाइन फिभर लगायतका रोगहरु विरूद्ध अभियानका रूपमा प्रदेशभरी खोप कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। प्रदेशमा देखिएको मुख्य जुनोटिक रोग (रेबिज) र महामारीजन्य रोगहरु

(लम्पी स्कीन, स्वाइन फिभर) रोकथाम तथा नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाएको छ। कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा पशुपन्छी तथा मत्स्य सम्बन्धी घुम्ती भेटेरिनरी सेवा प्रदान गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छ।

२४. स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला निकायसँगको साझेदारीमा छाडा पशु व्यवस्थापन र पशु कल्याण प्रवर्धनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेशभित्र कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने कृषक र स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

२५. कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा **एक स्थानीय तह एक कृषक पाठशाला** कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु. २ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छ।

२६. स्वच्छ तथा स्वस्थकर मासुका लागि मिट मार्ट र दुधको बजारीकरणका लागि दुध संकलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र र प्रशोधन उद्योग स्थापना तथा सुधार गर्न रु. ५ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।

२७. दार्चुलाको ब्याँस क्षेत्र, बझाङ्गको सैपाल क्षेत्र, बाजुराको कुन्ना क्षेत्र र कैलाली तथा कञ्चनपुरको थारु समुदाय लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. ३ करोड विनियोजन गरेको छ।

## भूमि व्यवस्था तथा सहकारी

२८. सहकारी संस्थाहरुलाई उत्पादन तथा बजारीकरण कार्यमा सबलीकरण, सुदृढीकरण र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ।

२९. मालपोत र नापी कार्यालयको पूर्वाधार विकास तथा स्रेस्ता सुधारलाई निरन्तरता दिदै सेवा प्रवाहलाई प्रविधियुक्त र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ।

३०. प्रदेशभित्र रहेका मुक्त कमैया, कमलरी र हलियाको क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यवस्थापनका लागि रु १ करोड विनियोजन गरेको छ।

३१. भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र पशुपन्छी क्षेत्रमा रु. २ अर्व ५० करोड विनियोजन गरेको छु।

<u>वन तथा वातावरण</u>

३२. वन, जैविक विविधता र जलाधार व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ। वन सम्पदाको दिगो उपयोग र वनजन्य उद्यम विकास गरी प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा वनक्षेत्रको योगदान वृद्धि गरिनेछ। यसका लागि जल र जमिन संरक्षण, रिचार्ज पोखरी, गल्छी, पहिरो नियन्त्रण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. २० करोड ६८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।

३३. सामुदायिक वन हस्तान्तरण कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ। जडीबुटी एवम् गैरकाष्ठ वन पैदावारको प्रशोधन, व्यवसायीकरण र निर्यात प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने गरी नर्सरी स्थापना, वृक्षारोपण र जडीबुटी खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा गैरकाष्ठ वन पैदावार प्रशोधन केन्द्र स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

३४. नदी खोलामा बगेर आउने दहत्तर बहत्तर काठको संकलन गरी प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा वनक्षेत्रसँग जोडिएका खाली पर्ति ऐलानी जग्गामा घेरबार गरी हरित उद्यान स्थापनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

३५. बढ्दो वन अतिक्रमणलाई निरुत्साहित गर्न सम्बद्ध निकायको समन्वयमा संस्थागत संरचना तथा नीतिगत व्यवस्था सहितको प्रदेश वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति र प्रदेश वन सुरक्षा योजना तर्जुमा गरी आगामी आर्थिक वर्ष कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

३६. कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका वन क्षेत्रको वैज्ञानिक नक्साङ्कन गरिनेछ। सम्वेदनशील क्षेत्रमा तारवार लगाई वन क्षेत्रको सिमाङ्कन गर्ने व्यवस्था गरेको छु।

३७. समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको तत्काल व्यवस्थापन गर्न स्रोतसम्पन्न वन्यजन्तु उद्दार टोली बनाई व्यवस्थित गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उपयुक्त स्थानमा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र स्थापना गर्नको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु।

३८. कैलालीको अत्तरियामा रुख विरुवा कम भएको तथा अतिक्रमणको जोखिम रहेको वन क्षेत्रमा संघ सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय चिडियाखाना स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइने छ।

३९. जनसमुदायको सहभागितामा वृहत वृक्षारोपण अभियान सञ्चालन गरी भू-क्षय नियन्त्रण गर्नुका साथै कृषियोग्य जमिन र बसोवास क्षेत्रको संरक्षण तथा जलाधारको दिगो व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। क्षतिग्रस्त भूमिको पुर्नस्थापना, वायोइञ्जिनियरिङ सहितको तटबन्ध निर्माण, वर्षातको पानीको उपयोग, जलपुनर्भरण, सिमसार व्यवस्थापन तथा भेटिभर, जेट्रोपा र बाँसरोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

४०. राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक महत्वका तालतलैयाको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।

<u>उद्योग तथा पर्यटन</u>

४१. डडेल्धुराको महाभारत र अछामको रामारोशन क्षेत्रलाई प्रदेश संरक्षण क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरी नेपाल सरकारको समन्वयमा एकीकृत संरक्षण तथा विकास योजना तयार गरिनेछ। सो क्षेत्रमा संरक्षण, सामुदायिक विकास र पर्यटकीय पुर्वाधार निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। यस्ता क्षेत्रहरुमा पर्यापर्यटकीय गतिविधि संचालन गरी थप पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ।

४२. प्रदेश गौरवका आयोजना अन्तर्गतका सडक सञ्जालले समेट्ने क्षेत्रमा प्राकृतिक, भौगोलिक, धार्मिक, आध्यात्मिक र पर्यापर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। पर्यटन र विकासलाई एउटै सर्किटमा आवद्ध गरी कार्यान्वयन गर्ने गरी **मुख्यमन्त्री एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रमका** लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

४३. **"पर्यटन पूर्वाधार, समृद्ध प्रदेशको आधार"** भन्ने नाराका साथ संघ सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिनेछ। हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनका लागि पदमार्ग तथा विश्राम गृह निर्माणका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु।

४४. स्थानीय कच्चा पदार्थ र स्रोतको प्रयोग हुने गरी **एक जिल्ला एक उद्योग** कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।

४५. प्रशोधन केन्द्र र उद्योग स्थापनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न विशेष सहुलियत र प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको छु। लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी संघ सरकारसँग सहकार्य र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि सहलगानी कार्यक्रम अन्तर्गत रु. ५० लाख विनियोजन गरेको छु।

४६. युवा उद्यमशिलता विकास गर्न र नवप्रवर्तनलाई प्रवर्धन गर्न स्टार्टअप उद्यम कर्जाको लागि रु. १ करोड विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रम अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका दुई सय जना युवालाई स्वरोजगार विकास कोषमार्फत कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु।

४७. परम्परागत ज्ञान तथा मौलिक सीपमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगका लागि प्रविधि हस्तान्तरण तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, अपांग लगायत आर्थिक एवम् सामाजिक रूपले पिछडिएका समुदायको उत्थानका लागि सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रवन्ध गरेको छु।

४८. युवाहरूमा नयाँ अवधारणाको विकास, सूचना र प्रविधि तथा उद्यम र व्यवसायमा आकर्षण र परिचालनको लागि स्टार्ट अप फण्ड, इन्नोभेसन स्टुडियो, स्मार्ट एग्रिकल्चर सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

<u>वाणिज्य तथा आपूर्ति</u>

४९. उपभोक्ताको हक र अधिकारको संरक्षण, कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन प्रभावकारी बजार अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासनलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

५०. हिमाली एवम् दुर्गम क्षेत्रमा नुन लगायतका अत्यावश्यक खाद्य सामग्री सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन संघ सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।

५१. उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण क्षेत्रको लागि रु. १ अर्व ८१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।

## सडक पूर्वाधार

५२. भौतिक पूर्वाधार विकासमा गरिने लगानीलाई उत्पादनशिल तुल्याउन रणनीतिक महत्व र प्रदेश गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने गरी पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेको छु। ठुला पूर्वाधार आयोजनाको दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

५३. हाल कार्यान्वयनमा रहेका प्रदेश गौरव, समपूरक अनुदान अन्तर्गतका आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्था गरेको छु।

५४. सडक सञ्जाल विस्तार नभएका स्थानीय तहमा संघ सरकार, विकास साझेदार र स्थानीय तह समेतको समन्वय र सहकार्यमा सडक सञ्जाल विस्तार गरिनेछ। सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु।

५५. सडक सुरक्षा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

५६. स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सडक, सिचाईं, खानेपानी लगायतका भौतिक संरचनाको सञ्चालन, संरक्षण र मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।

५७. सार्वजनिक निजी क्षेत्र साझेदारीको अवधारणा अन्तर्गत गोदावरी-अत्तरिया-धनगढी चौराहा सडक खण्डमा मोनोरेल सेवाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

५८. बाजुराको ढम्कने-पाण्डुसैन सुरुङमार्ग अध्ययनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेको छु।

५९. आगामि आर्थिक वर्षमा सडक पूर्वाधारतर्फ २१८ कि.मि. पक्की सडक, २८८ कि. मि. ग्राभेल सडक तथा १० वटा सडक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छु। सडक पूर्वाधारतर्फ रु. ५ अर्ब ६८ करोड विनियोजन गरेको छु।

## उर्जा, सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण

६०. कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन सिंचाइ सुविधा विस्तारमा जोड दिइनेछ। कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका सिचाईं सुविधा नपुगेका स्थानमा डिप ट्युबेल सिंचाइ प्रणालीको विकास गर्न भूमिगत सिंचाइ तर्फ रु. १७ करोड विनियोजन गरेको छु। गुर्गी, खुरखुरिया, पथरैया, मोहना जस्ता ठूला सिंचाइ योजना निर्माण तथा प्रणाली व्यवस्थापनका लागि रु. ३० करोड विनियोजन गरेको छु।

६१. क्रमागत सिंचाइ आयोजनाको निर्माण र सिंचाइ प्रणालीको मर्मतका लागि रु. ८५ करोड ४७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। सिंचाइ प्रणालीको निर्माण तथा व्यवस्थापनमा सहकारी, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन विषयगत मन्त्रालयको समन्वयमा व्यावसायिक कृषि सञ्चालन गर्ने फर्मलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ।

६२. **"हाम्रो जलभण्डारः समृद्धिको आधार"** नारा सहित जलस्रोतको बहुउपयोगिता प्रवर्धनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जलविद्युत परियोजना निर्माण कार्यका लागि रु. १४ करोड विनियोजन गरेको छु।

६३. केन्द्रीय प्रशारण लाईन नपुगेका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका दुर्गम वस्तिमा वैकल्पिक एवम् नविकरणीय ऊर्जा सेवा प्रदान गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा पर्यटकीय स्थलमा वैकल्पिक ऊर्जाको पहुँच बढाउन रु. २ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छु।

६४. विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सम्भाव्य स्थानमा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन सहितको एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेसमेन्ट एण्ड ट्रान्सफर सेन्टरको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

६५. जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनका लागि नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरिनेछ। बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित वस्तिको संरक्षण गर्न जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। जमिन उकास हुने गरी कान्द्रा, बनारा, चौधर र मछेली नदीमा नदी नियन्त्रण लगायत सिंचाइ, खानेपानी सुधार सहितको एकीकृत पूर्वाधार निर्माण तथा संरक्षण कार्यको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

६६. महाकाली, कर्णाली र सेती नदीमा रिभरबिच पार्क तथा जल यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

६७. उर्जा, सिंचाइ र नदी नियन्त्रणतर्फ रु. २ अर्व ८७ करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट लगभग ३८०० हेक्टर जमिनमा सिंचाइ र नदि नियन्त्रण तर्फ २०७ हेक्टर जमिन उकास हुने लक्ष्य लिएको छु।

## खानेपानी तथा सरसफाई

६८. **"एक घर, एक धारा कार्यक्रम"** विस्तार गरी खानेपानी सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। समुदायमा आधारित खानेपानी आयोजना निर्माण र सामुदायिक विद्यालय एवम् स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी सेवा सुधार कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिई सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।

६९. स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला संघ संस्थासँगको समन्वय तथा साझेदारीमा फोहरमैला व्यवस्थापन र प्रशोधन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा मर्मत सम्भारमा साझेदारीको नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। भूमिगत जलसतह तथा पानीका सतही स्रोतहरु घट्दै गईरहेका क्षेत्र पहिचान गरी खानेपानीबाट बञ्चित बिपन्न बस्तीमा खानेपानी आपूर्तिको विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।

७०. खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेत्रतर्फ रु. १ अर्व ७७ करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट १ लाख १९ हजार थप जनसंख्या स्वच्छ खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित हुने अपेक्षा गरेको छु।

## आवास,सहरी विकास तथा भवन निर्माण

७१. हिमाली तथा पहाडी जिल्लाबाट हुने बढ्दो बसाइँसराईलाई न्यूनीकरण गर्न बजारोन्मुख गाउँमा **"प्रदेश प्रमुख एकीकृत वस्ती विकास परियोजना"** अन्तर्गत डडेल्धुराको रुपाल र बाजुराको स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकाको वाइमा एकीकृत पूर्वाधार निर्माणका लागि रु. ५ करोड विनियोजन गरेको छु।

७२. संघ सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएका ससर्त अनुदानतर्फका **जनता आवास कार्यक्रमलाई** निरन्तरता दिएको छु। एकीकृत पूर्वाधार विकासको अवधारणा अनुरूप विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका लागि आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु।

७३. प्रदेश राजधानी निर्माणको गुरूयोजना तर्जुमा तय गरिनेछ। प्रदेशस्तरीय सरकारी भवन डिजाइन तथा निर्माणमा एकद्वार नीति अवलम्बन गरिनेछ।

७४. प्रदेश सरकारका पूर्वाधारहरूमा लगानीका विभिन्न वित्तीय उपकरण तथा स्रोत परिचालन गर्न नगर विकास कोषमा प्रदेश सरकारको शेयर स्वामित्व रहने कानुनी प्रवन्ध मिलाईनेछ।

७५. आवास, शहरी विकास तथा भवन निर्माणतर्फ रु. ३३ करोड विनियोजन गरेको छु।

<u>यातायात व्यवस्था</u>

७६. सवारी साधन र चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी अभिलेखको डिजिटाइजेसन र अर्काइभिङ गरिनेछ। यातायात व्यवस्थालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाई चालक अनुमतिपत्र, सवारी साधन दर्ता, नवीकरण र राजश्व भुक्तानी लगायतका सेवा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न रु. २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।

७७. सडक पूर्वाधार, उर्जा, सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाई, आवास, सहरी विकास तथा भवन निर्माण र यातायात व्यवस्था क्षेत्रको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु. १२ अर्व ६८ करोड विनियोजन गरेको छु।

<u>शिक्षा</u>

७८. हिमाली र पहाडी क्षेत्रका सिकाइ उपलब्धि न्यून रहेका, भौतिक पूर्वाधार कमजोर रहेका र शैक्षिक गुणस्तर कमजोर रहेका विद्यालय सुधारका लागि **मुख्यमन्त्री शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम** सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा स्थानीय माग र आवश्यकतामा आधारित नमुना विद्यालय स्थापना, शैक्षिक गुणस्तर सुधार एवम् विद्यालय-उच्च शिक्षा श्रृङ्खला स्थापित गरी गुणस्तरीय शैक्षिक जनशक्ति विकास गर्ने लगायतका कार्यक्रमका लागी रु. १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।

७९. **मुख्यमन्त्री शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम** अन्तर्गत स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा बाजुरा जिल्लामा सामुदायिक आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि रु. ५ करोड विनियोजन गरेको छु।

८०. उच्च शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर बढाउन प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ। उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान एवम् नवप्रवर्तनसँग आवद्ध गर्न सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु।

८१. सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई कार्यसम्पादनका आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने र विज्ञान विषय पठनपाठन हुने सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास र प्रयोगशाला सुदृढीकरणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

८२. संघ सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक-एक वटा बालविकास केन्द्रलाई नमुना बालविकास केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा पोषण अवस्थाको सुधार गर्न विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि रु. ८ करोड विनियोजन गरेको छु।

८३. समावेशी शिक्षा प्रवर्धन गर्न अपाङ्गता भएका र सीमान्तकृत वर्गका बालबालिका लक्षित शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण तथा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वादी समुदायका बालबालिकाको पहुँच अभिवृद्धिका लागि वादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।

८४. गरिब, विपन्न, सहिद तथा बेपत्ता परिवार, अपाङ्ग, महिला, दलित, मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र सीमान्तकृत वर्गका छात्रछात्रा तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको उच्च शिक्षा र चिकित्सा शिक्षामा पहुँच बढाउन प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। शैक्षिक छात्रवृत्ति विस्तार कार्यक्रमका लागि रु. ४ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।

८५. सीप परीक्षण केन्द्रको सुदृढीकरण गरी परम्परागत सीप प्रमाणीकरण गरिनेछ। पूर्व सिकाइको मान्यता प्रणालीद्वारा प्रदेशभित्रका युवाको परम्परागत सीप परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको छु।

८६. शिक्षा तालिम केन्द्रमा डिजिटल सिकाइ केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। शिक्षकको दक्षता अभिवृद्धि गरी शिक्षा सिकाइलाई प्रभावकारी तुल्याउन सेवाकालीन तालिमका साथै अनुसन्धानमा तथा सुचना प्रविधिमा आधारित तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षकको दक्षता अभिवृद्धि गरी शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि रु. १ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छु।

**भाषा, साहित्य तथा कला**

८७. सामाजिक, सांस्कृतिक विविधताको व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ। प्रदेशभित्रका भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, कला, साहित्यको उत्थान, संरक्षण र विकास गर्न सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संस्थागत विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

८८. प्रदेशभित्र रहेका ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा साँस्कृतिक महत्वका सम्पदाहरूको खोज, अन्वेषण, अभिलेखीकरण गरी प्रदेशस्तरीय संग्रहालय स्थापना र सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनको व्यवस्था मिलाएको छु।

८९. थारू जातिका बडघर र भलमन्सा प्रथालाई सम्बर्द्धन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

**युवा तथा खेलकुद**

९०. **"खेलकुदको विकास; विद्यालयदेखि ओलम्पिकसम्म"** भन्ने नाराका साथ खेलकुद क्षेत्रको संस्थागत विकासमा जोड दिइनेछ। बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला, कभर्डहल, खेलमैदान जस्ता खेलकुद पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।

९१. राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरी पदक प्राप्त गर्ने प्रदेशका खेलाडीलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको छु। खेलकुद पूर्वाधार विकास र खेलकुद प्रतियोगिता संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि रु. ४ करोड १८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।

**स्वास्थ्य**

९२. विशेषज्ञ तथा विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न टेलिमेडिसिन लगायत इ-हेल्थ र विस्तारित स्वास्थ्य सेवाको विकास र विस्तार गरिनेछ। हिमाली र पहाडी जिल्लाका अस्पतालहरुका लागि विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्थाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

९३. राना, थारु, चौधरी जातीमा रहेको सिकलसेल एनिमिया, थालासेमिया जस्ता रोगहरूको स्क्रिनिङ्गको दायरा बढाइ प्रदेशभित्र नै उपचारको व्यवस्थाका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

९४. **"मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम"** अन्तर्गत सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल र टीकापुर अस्पतालमा डायलाइसिस र सघन उपचार (आइ.सि.यु.) सेवा विस्तार एवम् सेती प्रादेशिक अस्पतालमा वर्न युनिट स्थापनाको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

९५. बाजुराको कोल्टी, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, डडेल्धुराको जोगबुढा, कैलालीको लम्कीचुहा र कञ्चनपुरको बेलौरी अस्पताललाई प्रदेशस्तरीय अस्पतालमा स्तरोन्नती गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। कैलालीको टिकापुर अस्पतालको स्तरोन्नती गरिनेछ।

९६. पोषण सुरक्षाको दृष्टिले जोखिममा रहेका बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, बृद्धवृद्धा लगायत वर्गलाई लक्षित गरी स्थानीय कृषि उपज एवम् रैथाने बालीबाट उत्पादित पोषण सामग्री वितरणको लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

९७. आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति विस्तार गर्न प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयमा विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

९८. प्रदेशस्तरीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र स्थापनाको लागि प्रारम्भिक अध्ययन गरिनेछ। बाजुराको कोल्टीमा रहेको आयुर्वेद औषधालयमा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ। आयुर्वेदका विशिष्टीकृत सेवा विस्तार गर्न प्रदेश

मातहतका आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरणका लागि रु. ६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।

९९. प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रमलाई थप विस्तार र सुदृढीकरण गरिनेछ। महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यलाई सुधार गर्न पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, आङ खस्ने लगायतका रोगहरूको पहिचानका लागि स्क्रिनिङ्ग क्याम्प सञ्चालन गर्न विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य सिविर सञ्चालन गरिनेछ।

१००. स्वास्थ्य सुधारयोग्य शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पहिचान गरी प्रेषण र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाएको छु। प्रादेशिक अस्पतालबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई निमोनिया र इन्फ्ल्युएन्जा विरुद्धको निशुल्क खोप दिने व्यवस्था मिलाएको छु।

१०१. प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा नागरिकको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। गरिब र असहाय बिरामीको स्वास्थ्य उपचारमा सहायता र पहुँच बढाउन सामाजिक सुरक्षा इकाइमार्फत नसर्ने, दीर्घ र मानसिक रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

१०२. गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको लागि स्वास्थ्यकर्मीको दक्षता वृद्धि गर्न तालिम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।

१०३. **"स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि बिमा"** भन्ने नाराका साथ संघ सरकारको समन्वयमा स्वास्थ्य बिमालाई थप विस्तार र प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेशभित्र एम्बुलेन्स सेवालाई डिजिटलाइजेसन गरी प्रादेशिक प्रेषण केन्द्रलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ।

१०४. संघीय सरकारको विशेष अनुदानमा लम्कीचुहा सामुदायिक अस्पताल र वेतकोट अस्पतालको संरचना निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

१०५. स्वास्थ्य सेवाको विकास र विस्तारका लागि रु. ३ अर्ब १४ करोड ७२ लाख विनियोजन गरेको छु।

**सामाजिक क्षेत्र**

१०६. ग्रामीण क्षेत्रका सीमान्तकृत महिलालाई लक्षित गरी सीपमुलक तालिम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। अपांगता भएका व्यक्तिका लागि उद्यमशिलता विकास, आयआर्जन र स्वरोजगार प्रवर्धन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

१०७. बालबालिका तथा किशोरकिशोरी विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाको न्यूनीकरण गरिनेछ। विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका र हिंसा र जोखिममा रहेका बालबालिकाको लागि आपतकालीन कोष स्थापना गरी उद्धार र पुनर्स्थापना गरिनेछ।

१०८. स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संघसंस्थाको साझेदारीमा सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त सुदूरपश्चिम अभियान सञ्चालन गरिनेछ। परोपकारी कार्य गर्ने मानविय सेवामा समर्पित संघ संस्थासंगको सहकार्य र साझेदारीका लागी आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

१०९. हिंसा पिडित प्रभावितहरुको तत्काल राहत, उद्दार, उपचार र आवश्यक कानुनी उपचार एवम् पारिवारिक तथा सामाजिक पुनर्स्थापनाका लागी सबै जिल्लामा आपतकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। एशियाली बिकास बैंक र संघ सरकारसंगको साझेदारीमा कैलालीको लम्कीचुहामा दिर्घकालिन पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

११०. जेष्ठ नागरिक समूह गठन र दिवा सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनमा जोड दिइनेछ। प्रादेशिक अस्पतालबाट जेष्ठ नागरिकलाई निमोनिया र इन्फ्लुएन्जाको खोप दिने व्यवस्था मिलाएको छु।

**श्रम तथा रोजगार**

१११. प्रदेशमा गुणस्तरीय बहुसीपयुक्त मानव संशाधनको विकास गरी रोजगार र स्वरोजगार अभिवृद्धि गर्न महिला, दलित, जनजाती र पिछडिएका समुहलाई लक्षित गरि विभिन्न प्रकारका व्यवसायिक तथा सीपमुलक तालिम प्रदान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

११२. कार्यस्थलमा कामदारहरुको सुरक्षा, स्वास्थ्य सम्वन्धी परामर्श, उद्यमशिलताको विकास, उत्कृष्ट श्रमिक उद्यमी पहिचान र पुरस्कृत गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छ।

११३. शिक्षा, स्वास्थ र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा रु. ५ अर्व २९ करोड विनियोजन गरेको छ।

**<u>आन्तरिक सुरक्षा, आम सञ्चार तथा विपद् व्यवस्थापन</u>**

११४. शान्ति सुरक्षा र विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रदेशले प्रदान गर्दै आएको भौतिक तथा वित्तीय सहयोगलाई निरन्तरता दिएको छ।

११५. सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना व्यवस्थित गर्न सूचना समन्वय कक्षको स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ।

११६. संघ सरकारसँगको समन्वयमा प्रादेशिक कारागार स्थापना गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरिनेछ। कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्न प्रदेशस्थित कारागारमा भौतिक पूर्वाधार र आधारभुत सुविधा स्तरोन्नती गरी कैदीबन्दीलाई सीप तथा उद्यम विकासमा आवद्ध गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छ।

११७. **"विपद् पुर्व तयारीः हाम्रो जिम्मेवारी"** नाराका साथ विपद्बाट सुरक्षित र उत्थानशील प्रदेश निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। आपतकालित कार्यसञ्चालन केन्द्र, बहुउपयोगी सेल्टर हाउस र विपद् सम्बन्धी एकीकृत पुर्वसूचना प्रणाली विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ।

११८. **"युवाको जिम्मेवारीः लागुऔषध विरुद्ध खबरदारी"** भन्ने नाराका साथ संघ सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संघसंस्थाको समन्वयमा लागुऔषध नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। लागुऔषध प्रयोगकर्ताका लागि पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ।

११९. मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। समाजमा रहेका छुवाछुत र भेदभाव, सामाजिक कुरीति, घरेलु हिंसा, मानव वेचविखन, मानव अधिकार हनन् र विद्युतीय अपराध विरूद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।

१२०. आमसञ्चार र पत्रकारिता क्षेत्रको विकास एवम् संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। आमसञ्चार क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशका गतिविधि तथा असल अभ्यासको प्रसारणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

१२१. आन्तरिक सुरक्षा प्रणाली प्रवर्धनका लागि रु. ३९ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छु।

## सार्वजनिक सेवा र शासकीय सुधार

१२२. प्रदेश सभाको संस्थागत दक्षता अभिवृद्धि गरिनेछ। प्रदेश सभाका माननीय सदस्यका लागि अन्तर प्रदेश अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेश सभाको लागि रु. १८ करोड ८१ लाख विनियोजन गरेको छु।

१२३. प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवातर्फका रिक्त पदमा क्रमशः पदपूर्ति गर्दै लगिनेछ। प्रदेश लोक सेवा आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण, कर्मचारीको क्षमता विकास, अध्ययन अनुसन्धान, पाठ्यक्रम निर्धारण, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनका आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

१२४. मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सुदृढीकरण तथा कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

१२५. निजामती कर्मचारीका सन्ततीलाई सहुलियत दरमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न डोटीमा स्थापित निजामती सन्तती आवासीय विद्यालयको सञ्चालन अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छु।

१२६. प्रदेशका कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापनका लागि **एकीकृत प्रदेश कर्मचारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली** विकास गरिनेछ। कर्मचारीको दक्षता विकास गरी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सुदूरपश्चिम **प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान**मार्फत सेवाकालीन तालिम सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

१२७. निर्वाचन क्षेत्रका जनताको माग र आवश्यकता बमोजिमको गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणको लागि सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय मातहत कार्यालयबाट कानुन बमोजिमको खरिद सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास

कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा आयोजनामा सडक पूर्वाधारको हकमा न्यूनतम ५० लाख र अन्य पूर्वाधारमा न्यूनतम रु. २५ लाख विनियोजन हुनेगरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको लागि रु ३ करोड विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि पूर्वाधार विकासको क्षेत्र, सीमा, मापदण्ड र कार्यान्वयन विधि लगायतका अन्य आधार कार्यविधि बनाई निर्धारण गरिनेछ।

१२८. प्रदेशमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोवल बृद्धि गर्न सम्बत् २०७८ साल श्रावण १ गतेबाट लागू भएको **प्रदेश विशेष प्रोत्साहन भत्ता**लाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छु।

१२९. सरकारी सेवामा नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। उच्च व्यवस्थापन तहमा कार्यरत कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी करारका शर्तलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाउने नीति अङ्गिकार गर्ने व्यवस्था गरेको छु।

१३०. स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा एक बृहत तथा सर्वपक्षीय **"लगानी तथा विकास सम्मेलन"** आयोजना गरिनेछ।

<u>सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन</u>

१३१. वित्त परिचालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेशको आन्तरिक आय वृद्धिको लागि राजस्वको दायरा विस्तार एवम् करका विद्यमान दरलाई समयसापेक्ष बनाइनेछ। राजस्व परिचालनका क्षेत्र पहिचान गरी आन्तरिक आयलाई थप सुदृढ बनाउन राजस्व परिचालन नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

१३२. वित्तीय अनुशासन कायम गर्न विद्यमान **"सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड"** मा समयसापेक्ष परिमार्जन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेक कुनै पनि नयाँ सवारी साधन खरिद गरिने छैन।

१३३. नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँगको सहकार्यमा वित्तीय साक्षरता, अभिमुखीकरण एवम् क्षमता अभिवृद्धि सम्वन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरी वित्तीय सेवामा आम नागरिकको पहुँच अभिबृद्धि गरिनेछ।

**<u>आर्थिक योजना तथा तथ्यांक</u>**

१३४. संघ सरकारको समन्वयमा सरकारी लेखा प्रणाली र सार्वजनिक सम्पत्ती व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाइनेछ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइ वित्तीय सुशासन कायम गर्न ठुला आयोजनाको आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

१३५. बजेट खर्च प्रणालीमा सुधार गरिनेछ। बेरूजु फछ्र्यौट कार्ययोजना बनाइ फछ्र्यौट तथा सम्परीक्षण गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ।

१३६. आर्थिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन तथा तथ्यमा आधारित नीति तर्जुमालाई प्राथमिकता दिइनेछ। वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा लैङ्गिक उत्तरदायी, दिगो विकास लक्ष्य र जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी बजेट कोड अवलम्बन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

१३७. सहभागितामूलक योजना छनौट प्रणालीको विकास गरिनेछ। आयोजना छनौट र प्राथमिकीकरणलाई नियमित कार्यप्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ।

**<u>राजस्व परिचालन</u>**

१३८. प्रदेश सरकारको स्रोत व्यवस्थापनमा संघ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको अंश करिब ९७ प्रतिशत रहेको र आन्तरिक राजस्व परिचालनको हिस्सा न्यून रहेको सन्दर्भमा प्रदेशको स्रोत संरचनामा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउन कर तथा गैरकरको दायरालाई समयानुकूल विस्तार गर्दै दरमा सामान्य हेरफेर गर्ने नीति अङ्गिकार गरेको छु।

१३९. घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क तथा दस्तुरको विद्यमान व्यवस्थामा समसामयिक संशोधन गरेको छु।

१४०. प्रदेशभित्र स्थायी ठेगाना भएका नागरिकको स्वामित्वमा रहेको अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधन प्रदेशभित्र सरुवा दर्ता गर्दा त्यस्तो सरुवा दर्ता शुल्कमा पचास प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।

१४१. निजी तथा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा सवारी साधन कर लिने व्यवस्था मिलाएको छु। पेट्रोलियम पदार्थ बाहेक अन्य इन्धनद्वारा सञ्चालन हुने सवारी साधनमा प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने सवारी साधन करमा बिस प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छु।

१४२. दश वर्षभन्दा बढी पुराना सवारी साधन अन्यत्र प्रदेशबाट यस प्रदेशमा सरुवा भई आउँदा त्यस्ता सवारीको दर्ता दस्तुरमा थप पच्चिस प्रतिशत र पन्ध्र वर्षभन्दा बढी पुराना सवारी साधन अन्यत्र प्रदेशबाट यस प्रदेशमा सरुवा भई आउँदा त्यस्ता सवारीको दर्ता दस्तुरमा थप पचास प्रतिशत रकम असुल गरिने व्यवस्था मिलाएको छु।

१४३. वन पैदावार बिक्री शुल्क, कृषि सेवा शुल्क तथा दस्तुर र निजी तथा साझेदारी व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था पहिलो पटक आर्थिक विधेयकमा समावेश गरी व्यवस्थित गरेको छु।

१४४. मनोरञ्जन कर, पर्यटन शुल्क, प्राकृतिक स्रोत संकलन तथा बिक्री शुल्क असुल गरिने क्षेत्रको दायरा विस्तार गरेको छु। माटो, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, चुनढुङ्गा, ग्राभेल, खरिढुङ्गा, अभ्रख र दहत्तर बहत्तरको नियमन सम्बन्धी जरिवानाको नयाँ व्यवस्था गरेको छु।

१४५. यातायात व्यवस्था कार्यालयको संरचनात्मक सुधारलाई प्राथमिकता दिदै कार्यसम्पादन प्रक्रियालाई सुचना प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ। दरबन्दी बमोजिमको कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त र छिटोछरितो तुल्याई थप राजस्व परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

१४६. आगामी आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश राजस्व नीति तर्जुमा तथा विश्लेषणको कार्य प्रारम्भ गरी प्रदेशको राजस्व क्षमताको पहिचान गरिनेछ साथै राजस्व परिचालन कार्ययोजना तर्जुमा गरी प्रदेशको आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई थप सुदृढ गरिनेछ।

१४७. घरजग्गा रजिष्ट्रेशन तथा अन्य शुल्कको अन्तरिम प्रशासन गरिरहेको संघ सरकारको यस प्रदेशभित्रका नापी कार्यालयमा Nells & Merokitta लागू तथा अन्य प्रविधि जडान गरी प्रविधियुक्त तुल्याइनेछ। साथै मालपोत कार्यालयको स्रेस्ता बाइन्डिङ, सुधार तथा प्रविधि विकास गरी संस्थागत क्षमता विकासको माध्यमबाट चुस्त दुरुस्त, छिटो छरितो र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहबाट थप राजस्व परिचालन गरिनेछ।

## स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण

१४८. सुदूरपश्चिम प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ र सुदूरपश्चिम प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको छ। आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव र छनौट कार्यमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगले स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको कार्यलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट सुरुवात गरिएको र थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधिमा आधारित योजना छनौट प्रणालीलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाइनेछ।

१४९. आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदानतर्फ रु. ८० करोड ६१ लाख ३५ हजार हस्तान्तरण गरेको छु। जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ५.५२-प्रतिशतले बढी हुन आउँछ।

१५०. आगामी आर्थिक वर्षको लागि ससर्त अनुदानको रकम रु. ४९ करोड ४३ लाख ५० हजार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छु।

१५१. प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा हुने सवारी साधन कर रु. २९ करोड ७९ लाख ४६ हजार स्थानीय संचित कोषमा बाँडफाँट भएर जाने अनुमान गरेको छु। जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६.४० प्रतिशतले बढी हुन आउँछ।

१५२. स्थानीय तहबाट आगामी आर्थिक वर्ष कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि समपूरक अनुदानतर्फ रु. ६३ करोड ८९ लाख ८५ हजार र विशेष अनुदानतर्फ रु. ४० करोड ८१ लाख विनियोजन गरेको छु। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने समपूरक र विशेष अनुदानलाई थप वस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याइनेछ।

१५३. विषयगत मन्त्रालयबाट प्रस्तावित ससर्त अनुदानतर्फ विनियोजित कार्यक्रम तथा बजेट वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय तहमा ससर्त अनुदानका कार्यक्रम हस्तान्तरण एवम् कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था विनियोजन विधेयकमा  गरेको छु।

**माननीय सभामुख महोदय,**

अब म माथि उल्लिखित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि बजेट **विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान** प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छुः

१५४. आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि मैले कुल रु. २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख २ हजार अर्थात् ३२.७९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रू १७ अर्ब २ करोड २३ लाख ६० हजार अर्थात् ५८.१६ प्रतिशत र अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत रु. २ अर्ब ३४ करोड ७५ लाख ७० हजार अर्थात् ८.०२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. ३० करोड अर्थात् १.०३ प्रतिशत हुने गरी विनियोजनको व्यवस्था मिलाएको छु।

१५५. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट रु. १ अर्ब ५० करोड, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम रु. ९ अर्ब ४१ करोड १७ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँट भै प्राप्त हुने रु. ६ करोड ५६ लाख ८ हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रु. ८ अर्ब ५२ करोड ३ लाख, चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम रु. ३ अर्ब ८६ करोड ६७ लाख २४ हजार, ससर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने रु. ४ अर्ब ५१ करोड १६ लाख, संघीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु. ७७ करोड र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु. ६२ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको छु।

**माननीय सभामुख महोदय,**

१५६. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को यथार्थ खर्च, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अनुमानित आय व्यय विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु। मध्यमकालीन खर्च संरचना र विषयगत मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण यसै साथ प्रस्तुत गरिएको छ।

१५७. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापनको माध्यमबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र ससर्त अनुदानको विवरण व्यय अनुमानमा खुलाई पेश गरेको छु।

१५८. आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट कृषि तथा पशुपन्छी, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण र शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि भई आर्थिक क्रियाकलाप गतिशिल हुने, थप रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने, गुणस्तरीय शिक्षा तथा आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि हुने, गरिबी निवारणमा योगदान पुग्ने, सेवा प्रवाहमा सुधार हुने र समाजवाद् उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा लिएको छु।

१५९. बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा मलाई मार्गदर्शन गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय सभामुखज्यू, यस प्रदेशबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने माननीय सांसदज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, माननीय उपसभामुखज्यू, प्रदेश सभाका विषयगत समितिका माननीय सभापतिज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। मैले सम्मानित प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरी सुझाव प्रदान गर्नु भएकोमा माननीय सदस्यज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार ब्यक्त गर्दछु।

१६०. बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा आ-आफ्नो तर्फबाट रचनात्मक सुझाव दिनुहुने राजनीतिक दल, स्थानीय तहका पदाधिकारी, अर्थविद्, निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सामुदायिक तथा सामाजिक संघ-संस्था, सञ्चार जगत र देश विदेशमा रहनु भएका प्रदेशवासीलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।

१६१. अन्तमा, प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन र अनुगमन मूल्याङ्कनबाट मात्र **'आत्मनिर्भर र समृद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेश'** निर्माण गर्ने सरकारको दिर्घकालीन सोचलाई साकार पार्न सकिन्छ। बजेट कायान्र्वयनको अभियानमा सक्रिय सहभागिता एवम् सार्थक सहयोगका लागि सबै सरोकारवाला पक्षलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। सबै दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास प्रयासमा सरिक भई नागरिकको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन एकजुट हुन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछु।

धन्यवाद

# आय व्ययको विवरण
## आर्थिक वर्ष २०८०/८१

अनुसूची - १
(रु.हजारमा)

| विवरण | २०७८/७९ को यथार्थ | २०७९/८० को संशोधित अनुमान | २०८०/८१ को लक्ष्य | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | रकम | स्रोत | | |
| | | | | प्रदेश सरकार | संघ अनुदान | |
| | | | | | संघ | वैदेशिक |
| **१ राजस्व (२+३+४)** | **१४,८१,२१,०२** | **१६,७९,०२,५५** | **१४,८४,४०,३२** | **१४,८४,४०,३२** | ० | ० |
| २ कर | ८,७४,०९,३७ | ९,२५,२४,१७ | १०,५७,९५,५५ | १०,५७,९५,५५ | ० | ० |
| ३ अन्य राजस्व | ३९,५०,४२ | ३८,४०,०५ | ३९,७७,५३ | ३९,७७,५३ | ० | ० |
| ४ विविध प्राप्ति | ५,६७,६१,२३ | ७,१५,३८,३३ | ३,८६,६७,२४ | ३,८६,६७,२४ | ० | ० |
| **५ प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने(१-४)** | **१४,८१,२१,०२** | **१६,७९,०२,५५** | **१४,८४,४०,३२** | **१४,८४,४०,३२** | ० | ० |
| **६ वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान** | **१३,२१,९०,९०** | **१५,०४,४३,६२** | **१४,४२,१९,००** | ० | **१३,१३,३१,००** | **१,२८,८८,००** |
| **७ प्रदेश सरकारको राजस्व र अनुदान (५+६)** | **२८,०३,११,९२** | **३१,८३,४६,१७** | **२९,२६,५९,३२** | **१४,८४,४०,३२** | **१३,१३,३१,००** | **१,२८,८८,००** |
| **८ खर्च (९+१०+११)** | **२०,८७,७३,५९** | **२७,९६,७८,९३** | **२८,९६,५९,३२** | **१४,५४,४०,३२** | **१३,१३,३१,००** | **१,२८,८८,००** |
| ९ चालु | ७,०१,२०,५३ | ९,३१,३९,०२ | ९,५९,६०,०२ | ७,७४,१२,४८ | १,३८,६५,३६ | ४६,८२,१८ |
| १० पुंजीगत खर्च | ११,९५,२०,५९ | १७,२८,९९,९१ | १७,०२,२३,६० | ४,४५,५२,१४ | ११,७४,६५,६४ | ८२,०५,८२ |
| ११ वित्तीय हस्तान्तरण चालु | १,९१,३२,४७ | १,३६,४०,०० | २,३४,७५,७० | २,३४,७५,७० | ० | ० |
| **१२ बजेट बचत(-) न्यून(+) (८-७)** | **-७,१५,३८,३३** | **-३,८६,६७,२४** | **-३०,००,००** | **-३०,००,००** | ० | ० |
| **१३ वित्तीय व्यवस्था** | ० | ० | **३०,००,००** | **३०,००,००** | ० | ० |
| **१४ आन्तरिक वित्तीय सम्पत्ति (१५+१६+१७)** | ० | ० | **३०,००,००** | **३०,००,००** | ० | ० |
| १५ सार्वजनिक संस्थानमा ऋण लगानी | ० | ० | ३,००,०० | ३,००,०० | ० | ० |
| १६ अन्य संस्थामा ऋण लगानी | ० | ० | ३,००,०० | ३,००,०० | ० | ० |
| १७ संस्थानमा शेयर लगानी | ० | ० | २४,००,०० | २४,००,०० | ० | ० |
| **१८ बजेट बचत(-) न्यून (+) (१२+१३)** | **-७,१५,३८,३३** | **-३,८६,६७,२४** | ० | ० | ० | ० |
| **१९ कुल आम्दानी** | **२८,०३,११,९२** | **३१,८३,४६,१७** | **२९,२६,५९,३२** | **१४,८४,४०,३२** | **१३,१३,३१,००** | **१,२८,८८,००** |
| **२० कुल खर्च** | **२०,८७,७३,५९** | **२७,९६,७८,९३** | **२९,२६,५९,३२** | **१४,८४,४०,३२** | **१३,१३,३१,००** | **१,२८,८८,००** |

# राजस्व तथा अनुदान प्राप्तिको अनुमान
## आर्थिक वर्ष २०८०/८१

अनुसूची - २
(रु.हजारमा)

| शीर्षक | २०७८/७९ को यथार्थ | २०७९/८० को संशोधित अनुमान | २०८०/८१ को लक्ष्य | वर्तमान स्रोतबाट | कर परिवर्तन तथा प्रशासनिक सुधारबाट |
|---|---|---|---|---|---|
| कर | ८,७४,०९,३७ | ९,२५,२४,१७ | १०,५७,९५,५५ | १०,५७,९५,५५ | ० |
| आय, मुनाफा तथा पूँजीगत लाभमा लाग्ने कर | ० | ० | ५,०० | ५,०० | ० |
| एकलौटी फर्म तथा व्यक्तिगत आयमा लाग्ने कर | ० | ० | ५,०० | ५,०० | ० |
| कृषि आयमा कर | ० | ० | ५,०० | ५,०० | ० |
| सम्पत्ति कर | ४०,६३,४६ | ४३,४६,१४ | ४७,३७,२९ | ४७,३७,२९ | ० |
| घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर | ४०,६३,४६ | ४३,४६,१४ | ४७,३७,२९ | ४७,३७,२९ | ० |
| घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर | ४०,६३,४६ | ४३,४६,१४ | ४७,३७,२९ | ४७,३७,२९ | ० |
| वस्तु तथा सेवामा आधारित कर | ८,३३,४५,९१ | ८,८१,७८,०३ | १०,१०,५३,२६ | १०,१०,५३,२६ | ० |
| मूल्य अभिवृद्धि कर (मू.अ.क.) | ५,८७,४६,४९ | ६,१४,११,१५ | ७,०५,८७,७५ | ७,०५,८७,७५ | ० |
| बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर | ५,८७,४६,४९ | ६,१४,११,१५ | ७,०५,८७,७५ | ७,०५,८७,७५ | ० |
| अन्तः शुल्क | १,९०,२६,१७ | २,०२,३२,२० | २,३५,२९,२५ | २,३५,२९,२५ | ० |
| बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अन्त शुल्क | १,९०,२६,१७ | २,०२,३२,२० | २,३५,२९,२५ | २,३५,२९,२५ | ० |
| पुर्वाधार सेवाको उपयोग तथा सवारी साधनमा लाग्ने कर | ५५,६४,५४ | ६५,१८,२१ | ६९,०९,३० | ६९,०९,३० | ० |
| सवारी साधन कर (सवारी दर्ता, वार्षिक सवारी कर तथा पटके सवारी कर) | ५५,६४,५४ | ६५,१८,२१ | ६९,०९,३० | ६९,०९,३० | ० |
| मनोरञ्जन तथा विज्ञापन कर | ८,७१ | १६,४७ | २६,९६ | २६,९६ | ० |
| बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने मनोरञ्जन कर | ० | ० | १०,०० | १०,०० | ० |
| बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने विज्ञापन कर | ८,७१ | १६,४७ | १६,९६ | १६,९६ | ० |
| अनुदान | १३,२१,९०,९० | १५,०४,४३,६२ | १४,४२,१९,०० | १४,४२,१९,०० | ० |
| अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण | १३,२१,९०,९० | १५,०४,४३,६२ | १४,४२,१९,०० | १४,४२,१९,०० | ० |
| अन्तरसरकारी अनुदान | १०,२४,८८,४२ | ९,७७,५२,६२ | १०,४२,९४,०० | १०,४२,९४,०० | ० |
| समानिकरण अनुदान | ८,५४,४०,०० | ७,८८,१५,६२ | ८,५२,०३,०० | ८,५२,०३,०० | ० |
| शसर्त अनुदान चालु | १,६३,०३,८५ | १,८४,३७,०० | १,६८,४१,०० | १,६८,४१,०० | ० |
| विशेष अनुदान चालु | ७,४४,५७ | ५,००,०० | २२,५०,०० | २२,५०,०० | ० |
| अन्तरसरकारी पूँजीगत अनुदान | २,९७,०२,४८ | ५,२६,९१,०० | ३,९९,२५,०० | ३,९९,२५,०० | ० |
| शसर्त पूँजीगत अनुदान | २,२७,७८,७० | ३,७५,६३,०० | २,८२,७५,०० | २,८२,७५,०० | ० |
| विशेष पूँजीगत अनुदान | १२,२२,१६ | ७४,७८,०० | ३९,५०,०० | ३९,५०,०० | ० |
| समपुरक अनुदान पूँजीगत | ५७,०१,६२ | ७६,५०,०० | ७७,००,०० | ७७,००,०० | ० |
| अन्य राजस्व | ३९,५०,४२ | ३८,४०,०५ | ३९,७७,५३ | ३९,७७,५३ | ० |
| सम्पत्तिबाट प्राप्त आय | ४,३६,८३ | ५,९७,१९ | ६,५७,४५ | ६,५७,४५ | ० |
| भाडा र रोयल्टी | ४,३६,८३ | ५,९७,१९ | ६,५७,४५ | ६,५७,४५ | ० |
| बाँडफाँड भई प्राप्त वन रोयल्टी | २,९३,५१ | ४,९०,९० | ५,७२,५७ | ५,७२,५७ | ० |
| बाँडफाँड भई प्राप्त खानी तथा खनिज सम्बन्धी रोयल्टी | ३,१२ | २,५६ | १,८९ | १,८९ | ० |
| बाँडफाँड भई प्राप्त विद्युत सम्बन्धी रोयल्टी | १,०५,४९ | १,०२,३२ | ८०,९० | ८०,९० | ० |
| बाँडफाँड भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको बिक्रिबाट प्राप्त हुने आय | ३४,६२ | १,३० | १,३७ | १,३७ | ० |
| बाँडफाँड भई प्राप्त पर्वतारोहण बापतको रोयल्टी | ९ | ११ | ७२ | ७२ | ० |
| अन्य शुल्क | ० | ० | ० | ० | ० |
| पर्यटन शुल्क | ० | ० | ० | ० | ० |
| वस्तु तथा सेवा बिक्रिबाट प्राप्त रकम | ८,६४,३६ | ९,७७,३९ | १०,२६,२६ | १०,२६,२६ | ० |
| वस्तु तथा सेवा बिक्रिबाट प्राप्त रकम | ८,६४,३६ | ९,७७,३९ | १०,२६,२६ | १०,२६,२६ | ० |
| अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्री | ८,६४,३६ | ९,७७,३९ | १०,२६,२६ | १०,२६,२६ | ० |
| दण्ड जरिवाना र जफत | ६१,१९ | १,८२,८२ | १,८९,२२ | १,८९,२२ | ० |
| दण्ड,जरिवाना र जफत | ६१,१९ | १,८२,८२ | १,८९,२२ | १,८९,२२ | ० |
| प्रशासनिक दण्ड,जरिवाना र जफत | ६१,१९ | १,८२,८२ | १,८९,२२ | १,८९,२२ | ० |
| विविध राजस्व | २५,८८,०४ | २०,८२,६५ | २१,०४,६० | २१,०४,६० | ० |
| अन्य राजस्व | २५,८८,०४ | २०,८२,६५ | २१,०४,६० | २१,०४,६० | ० |
| अन्य राजस्व | २५,८८,०४ | २०,८२,६५ | २१,०४,६० | २१,०४,६० | ० |
| विविध प्राप्ति | ५,६७,६१,२३ | ७,१५,३८,३३ | ३,८६,६७,२४ | ३,८६,६७,२४ | ० |
| विविध प्राप्ति | ५,६७,६१,२३ | ७,१५,३८,३३ | ३,८६,६७,२४ | ३,८६,६७,२४ | ० |
| नगद तथा मौज्दात | ५,६७,६१,२३ | ७,१५,३८,३३ | ३,८६,६७,२४ | ३,८६,६७,२४ | ० |
| गत वर्षको नगद मौज्दात | ५,६७,६१,२३ | ७,१५,३८,३३ | ३,८६,६७,२४ | ३,८६,६७,२४ | ० |
| जम्मा ( राजस्व / प्राप्ति ) | २८,०३,११,९२ | ३१,८३,४६,१७ | २९,२६,५९,३२ | २९,२६,५९,३२ | ० |
| राजस्व बाँडफाँट | | | | | |
| प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने राजस्व | २८,०३,११,९२ | ३१,८३,४६,१७ | २९,२६,५९,३२ | २९,२६,५९,३२ | ० |

# कार्यगत व्यय अनुमान
## आर्थिक वर्ष २०८०/८१

अनुसूची - ३
(रु.हजारमा)

| शीर्षक | २०८०/८१ को लक्ष्य | | | कुल अनुमानको प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| | जम्मा | प्रदेश | स्थानीय तह | |
| **सामान्य सार्वजनिक सेवा** | **५,५४,६७,९६** | **३,१९,९२,२६** | २,३४,७५,७० | **१८.९५** |
| कार्यकारी र विधायिकाको निकाय,आर्थिक तथा वित्तिय र वैदेशिक मामिला | १,३०,०१,६५ | १,३०,०१,६५ | ० | |
| सामान्य सेवा | १,७०,०२,१० | १,७०,०२,१० | ० | |
| सामान्य सार्वजनिक सेवामा अनुसन्धान तथा विकास | १९,५६,५१ | १९,५६,५१ | ० | |
| सामान्य सेवा - अन्यत्र वर्गीकृत नभएको | ३२,०० | ३२,०० | ० | |
| विभिन्न तहका सरकारहरु बीच हुने सामान्य प्रकृतिको हस्तान्तरण | २,३४,७५,७० | ० | २,३४,७५,७० | |
| **सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा** | **३९,३०,००** | **३९,३०,००** | ० | **१.३४** |
| सार्वजनिक शान्ति सुरक्षामा अनुसन्धान तथा विकास | ३९,३०,०० | ३९,३०,०० | ० | |
| **आर्थिक मामिला** | **१५,३३,०८,१५** | **१५,३३,०८,१५** | ० | **५२.३८** |
| सामान्य आर्थिक, व्यापारिक र श्रम मामिला | ३०,००,०० | ३०,००,०० | ० | |
| कृषि, वन , मत्स्यपालन तथा शिकार | ६,८१,९१,३४ | ६,८१,९१,३४ | ० | |
| इन्धन तथा उर्जा | १,००,०० | १,००,०० | ० | |
| खानी , उत्पादन तथा निर्माण | ३९,१५,०० | ३९,१५,०० | ० | |
| यातायात | ६,६३,३३,७२ | ६,६३,३३,७२ | ० | |
| अन्य उद्योगहरु | ४५,७३,२३ | ४५,७३,२३ | ० | |
| अनुसन्धान तथा विकास - आर्थिक मामिला | ७१,९४,८६ | ७१,९४,८६ | ० | |
| **वातावरण संरक्षण** | **८,७५,००** | **८,७५,००** | ० | **०.३०** |
| वातावरण संरक्षण - अन्यत्र वर्गिकृत नभएको | ८,७५,०० | ८,७५,०० | ० | |
| **आवास तथा सामुदायिक सुविधा** | **२,६०,८७,०१** | **२,६०,८७,०१** | ० | **८.९१** |
| आवास विकास | ७३,५८,६१ | ७३,५८,६१ | ० | |
| खानेपानी | १,८७,२८,४० | १,८७,२८,४० | ० | |
| **स्वास्थ्य** | **२,९४,२१,०४** | **२,९४,२१,०४** | ० | **१०.०५** |
| औषधी उत्पादन,उपकरण तथा औजार | ३,२१,०० | ३,२१,०० | ० | |
| बहिरंङ्ग सेवा | ९,४४,०० | ९,४४,०० | ० | |
| अस्पताल सेवा | ४९,२८,०० | ४९,२८,०० | ० | |
| सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा | २,२६,३५,२३ | २,२६,३५,२३ | ० | |
| स्वास्थ्यमा अनुसन्धान सेवा | ५,९२,८१ | ५,९२,८१ | ० | |
| **मनोरंजन,संस्कृति तथा धर्म** | **५,८५,००** | **५,८५,००** | ० | **०.२०** |
| मनोरंजनात्मक र खेलकुद सेवाहरु | ५,८५,०० | ५,८५,०० | ० | |
| **शिक्षा** | **२,२९,८५,१६** | **२,२९,८५,१६** | ० | **७.८५** |
| तहमा वर्गिकृत नहुने शिक्षा (अनौपचारिक शिक्षा) | ५१,३६,०० | ५१,३६,०० | ० | |
| शिक्षाको लागि सहायक सेवाहरु | १,७१,५२,१४ | १,७१,५२,१४ | ० | |
| शिक्षा - अनुसन्धान विकास | ६,९७,०२ | ६,९७,०२ | ० | |
| **कुल जम्मा** | २९,२६,५९,३२ | २६,९१,८३,६२ | २,३४,७५,७० | १०० |

# मन्त्रालयगत व्यय अनुमान (वित्तीय व्यवस्था सहित)
## आर्थिक वर्ष २०८०/८१

अनुसूची - ४
(रु.हजारमा)

| निकाय | | कुल जम्मा | प्रदेश | | | स्थानीय तह | कुल अनुमानको प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | जम्मा | चालु/पुँजीगत | वित्तीय | | |
| २०२ | प्रदेश व्यवस्थापिका | १९,०८,१४ | १९,०८,१४ | १९,०८,१४ | ० | ० | ०.६५ |
| २१० | प्रदेश लोक सेवा आयोग | ९,५०,०० | ९,५०,०० | ९,५०,०० | ० | ० | ०.३२ |
| ३०१ | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय | १,३०,८२,०२ | १,३०,८२,०२ | १,३०,८२,०२ | ० | ० | ४.४७ |
| ३०५ | आर्थिक मामिला मन्त्रालय | ७१,९४,८६ | ७१,९४,८६ | ७१,९४,८६ | ० | ० | २.४६ |
| ३०७ | उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय | १,८१,८५,४८ | १,८१,८५,४८ | १,८१,८५,४८ | ० | ० | ६.२१ |
| ३१२ | भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय | २,५०,७१,६६ | २,५०,७१,६६ | २,५०,७१,६६ | ० | ० | ८.५७ |
| ३१४ | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय | ३९,३०,०० | ३९,३०,०० | ३९,३०,०० | ० | ० | १.३४ |
| ३३७ | भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय | १२,६८,१८,१६ | १२,६८,१८,१६ | १२,६८,१८,१६ | ० | ० | ४३.३३ |
| ३५० | सामाजिक विकास मन्त्रालय | ५,२९,११,२० | ५,२९,११,२० | ५,२९,११,२० | ० | ० | १८.११ |
| ३९१ | प्रदेश योजना आयोग | ३,०५,०० | ३,०५,०० | ३,०५,०० | ० | ० | ०.१० |
| ५०१ | अर्थ - वित्तीय व्यवस्था | ३०,००,०० | ३०,००,०० | ० | ३०,००,०० | ० | १.०३ |
| ६०२ | अर्थ - विविध | १,५७,४७,१० | १,५७,४७,१० | १,५७,४७,१० | ० | ० | ५.३८ |
| ८०१ | स्थानीय तह | २,३४,७५,७० | ० | ० | ० | २,३४,७५,७० | ८.०२ |
| | कुल जम्मा | २९,२६,५९,३२ | २६,९१,८३,६२ | २६,६१,८३,६२ | ३०,००,०० | २,३४,७५,७० | १०० |

# खर्च शीर्षकगत व्यय अनुमान

## आर्थिक वर्ष २०८०/८१

अनुसूची - ५
(रु.हजारमा)

| खर्च संकेत नं. | खर्च शीर्षक | नगद | | कुल जम्मा |
|---|---|---|---|---|
| | | प्रदेश सरकार | संघ अनुदान | |
| चालु | | ९,६५,९३,६८ | १,८५,४७,५४ | ११,५१,४१,२२ |
| २११०० | **पारिश्रमिक / सुविधा** | २,१२,७६,२२ | २३,१८,४४ | २,३५,९४,६६ |
| २११११ | पारिश्रमिक कर्मचारी | १,६१,८९,२८ | १७,५४,२८ | १,७९,४३,५६ |
| २१११२ | पारिश्रमिक पदाधिकारी | ७,९१,५९ | ० | ७,९१,५९ |
| २११२१ | पोशाक | ३,१०,८० | ३,१९,९५ | ६,३०,७५ |
| २११२२ | खाद्यान्न | ७,०६,९२ | ४८,९६ | ७,५५,८८ |
| २११२३ | औषधी उपचार खर्च | १५,०० | ० | १५,०० |
| २११३१ | स्थानीय भत्ता | ५,९७,३५ | ६४,८५ | ६,६२,२० |
| २११३२ | महंगी भत्ता | ६,४२,७३ | ५०,६४ | ६,९३,३७ |
| २११३४ | कर्मचारीको बैठक भत्ता | २,३३,१० | २८,८६ | २,६१,९६ |
| २११३५ | कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार | ५,८० | ० | ५,८० |
| २११३९ | अन्य भत्ता | १५,५८,५६ | २,६० | १५,६१,१६ |
| २११४१ | पदाधिकारी बैठक भत्ता | १,४१,१८ | ० | १,४१,१८ |
| २११४२ | पदाधिकारी अन्य सुविधा | ४४,७१ | ० | ४४,७१ |
| २११४९ | पदाधिकारी अन्य भत्ता | ३९,२० | ४८,३० | ८७,५० |
| २१२०० | **कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा खर्च** | १,८२,७४ | २,८० | १,८५,५४ |
| २१२१२ | योगदानमा आधारित निवृत्तभरण तथा उपदान कोष खर्च | ६५,२५ | ० | ६५,२५ |
| २१२१३ | योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च | १,१७,४९ | २,८० | १,२०,२९ |
| २२१०० | **सेवा महसुल** | ११,८९,२० | ६०,७२ | १२,४९,९२ |
| २२१११ | पानी तथा बिजुली | ८,७४,१९ | ४४,४२ | ९,१८,६१ |
| २२११२ | संचार महसुल | ३,०६,४६ | १६,३० | ३,२२,७६ |
| २२११३ | सार्वजनिक उपयोगिताको सेवा खर्च | ८,५५ | ० | ८,५५ |
| २२२०० | **पूँजीगत सम्पत्तिको संचालन र सम्भार खर्च** | २६,२०,२३ | ९३,७९ | २७,१४,०२ |
| २२२११ | इन्धन (पदाधिकारी) | १,३२,९८ | ० | १,३२,९८ |
| २२२१२ | इन्धन (कार्यालय प्रयोजन) | ७,४३,२३ | ४३,७७ | ७,८७,०० |
| २२२१३ | सवारी साधन मर्मत खर्च | ६,७१,४० | १९,२२ | ६,९०,६२ |
| २२२१४ | बिमा तथा नवीकरण खर्च | २,१३,२६ | ६,६० | २,१९,८६ |
| २२२२१ | मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च | ४,९८,८४ | १२,८० | ५,११,६४ |
| २२२३१ | निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्च | ३,३५,०७ | ७,२० | ३,४२,२७ |
| २२२९१ | अन्य सम्पत्तिहरुको संचालन तथा सम्भार खर्च | २५,४५ | ४,२० | २९,६५ |
| २२३०० | **कार्यालय सामान तथा सेवाहरू** | १५,९७,०५ | ३,१२,९३ | १९,०९,९८ |
| २२३११ | मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री | ८,०६,७६ | २७,१२ | ८,३३,८८ |
| २२३१२ | पशुपंक्षीहरुको आहार | ५० | ३,६० | ४,१० |
| २२३१३ | पुस्तक तथा सामग्री खर्च | ११,४० | १,७७,०८ | १,८८,४८ |
| २२३१४ | इन्धन - अन्य प्रयोजन | ८३,९८ | ७,३५ | ९१,३३ |
| २२३१५ | पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च | ६,३६,९३ | ६९,५८ | ७,०६,५१ |
| २२३१९ | अन्य कार्यालय संचालन खर्च | ५७,४८ | २८,२० | ८५,६८ |
| २२४०० | **सेवा तथा परामर्श खर्च** | ७२,२०,७० | ९,२३,२२ | ८१,४३,९२ |
| २२४११ | सेवा र परामर्श खर्च | ७,२९,७१ | १,४० | ७,३१,११ |
| २२४१२ | सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च | १,०५,४७ | २,४१,१३ | ३,४६,६० |
| २२४१३ | करार सेवा शुल्क | ५२,०७,४४ | २,७०,६९ | ५४,७८,१३ |
| २२४१९ | अन्य सेवा शुल्क | ११,७८,०८ | ४,००,०० | १५,७८,०८ |
| २२५०० | **कार्यक्रम सम्बन्धी खर्चहरू** | ३,१४,२१,२२ | १,४३,९४,६३ | ४,५८,१५,८५ |
| २२५११ | कर्मचारी तालिम खर्च | ४,४४,७९ | ६,२१,४५ | १०,६६,२४ |
| २२५१२ | सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च | ११,४५,११ | २७,०७ | ११,७२,१८ |
| २२५२१ | उत्पादन सामग्री / सेवा खर्च | ३,१५,८५ | २,०० | ३,१७,८५ |
| २२५२२ | कार्यक्रम खर्च | २,९५,१६,४६ | १,२७,०८,२६ | ४,२२,२४,७२ |
| २२५२३ | विशेष कार्यक्रम खर्च | ० | १०,२२,०० | १०,२२,०० |
| २२५२९ | विविध कार्यक्रम खर्च | ९९,०१ | १३,८५ | १,१२,८६ |
| २२६०० | **अनुगमन,मूल्यांकन र भ्रमण खर्च** | १२,३८,१६ | ९५,९५ | १३,३४,११ |
| २२६११ | अनुगमन, मूल्यांकन खर्च | ९,४८,६४ | ७९,३९ | १०,२८,०३ |
| २२६१२ | भ्रमण खर्च | २,८९,५२ | १६,५६ | ३,०६,०८ |
| २२७०० | **विविध खर्च** | ८,३९,०२ | २३,२० | ८,६२,२२ |
| २२७११ | विविध खर्च | ८,३९,०२ | २३,२० | ८,६२,२२ |
| २५२०० | **व्यवसायहरूलाई सहायता** | ५,०१,०० | ० | ५,०१,०० |
| २५२१२ | गैह वित्तीय व्यवसायहरूलाई पूँजीगत सहायता | ५,०१,०० | ० | ५,०१,०० |

| खर्च संकेत नं. | खर्च शीर्षक | नगद | | कुल जम्मा |
|---|---|---|---|---|
| | | प्रदेश सरकार | संघ अनुदान | |
| **२५३००** | **अन्य सहायता** | **१९,७०** | **०** | **१९,७०** |
| २५३१५ | अन्य सहायता | १९,७० | ० | १९,७० |
| **२६३००** | **अन्य तहका सरकारहरूलाई अनुदान** | **१,९१,८१,२०** | **०** | **१,९१,८१,२०** |
| २६३३१ | समानिकरण अनुदान | ८०,६१,३५ | ० | ८०,६१,३५ |
| २६३३२ | शसर्त अनुदान | ६,४९,०० | ० | ६,४९,०० |
| २६३३३ | विषेश अनुदान | ४०,८१,०० | ० | ४०,८१,०० |
| २६३३४ | समपुरक अनुदान | ६३,८९,८५ | ० | ६३,८९,८५ |
| **२६४००** | **सामाजिक सेवा अनुदान** | **५,३६,५०** | **०** | **५,३६,५०** |
| २६४११ | सरकारी निकाय, समिति एवं बोर्डहरूलाई नि:शर्त चालु अनुदान | ८०,०० | ० | ८०,०० |
| २६४१२ | सरकारी निकाय, समिति एवं बोर्डहरूलाई स:सर्त चालु अनुदान | २,०९,५० | ० | २,०९,५० |
| २६४१३ | अन्य संस्थालाई अनुदान सःशर्त | २०,०० | ० | २०,०० |
| २६४२१ | सरकारी निकाय, समिति, बोर्ड — पुँजीगत नि:शर्त अनुदान | ५,०० | ० | ५,०० |
| २६४२२ | सरकारी निकाय, समिति, बोर्ड — पुजिगत स:शर्त अनुदान | २,२२,०० | ० | २,२२,०० |
| **२७१००** | **सामाजिक सुरक्षा** | **५,५६,७०** | **१५,००** | **५,७१,७०** |
| २७१११ | सामाजिक सुरक्षा | ३,५६,७० | ० | ३,५६,७० |
| २७११२ | अन्य सामाजिक सुरक्षा | २,००,०० | १५,०० | २,१५,०० |
| **२७२००** | **सामाजिक सहायता** | **१६,७१,६७** | **३,०१,७०** | **१९,७३,३७** |
| २७२११ | छात्रवृत्ति | ४,८६,०० | २,२०,०० | ७,०६,०० |
| २७२१३ | औषधी खरिद खर्च | ११,५५,६७ | ८१,७० | १२,३७,३७ |
| २७२१९ | अन्य सामाजिक सहायता | ३०,०० | ० | ३०,०० |
| **२८१००** | **सम्पत्ति सम्बन्धी खर्च** | **८,२९,२७** | **५,१६** | **८,३४,४३** |
| २८१४१ | जग्गाको भाडा | २,०० | ० | २,०० |
| २८१४२ | घर भाडा | ७,२६,६० | ५,१६ | ७,३१,७६ |
| २८१४३ | सवारी साधन तथा मेशिनर औजार भाडा | ९९,७७ | ० | ९९,७७ |
| २८१४९ | अन्य भाडा | ९० | ० | ९० |
| **२८२००** | **फिर्ता खर्च** | **३,१५,९०** | **०** | **३,१५,९०** |
| २८२११ | राजस्व फिर्ता | १,१५,९० | ० | १,१५,९० |
| २८२१२ | न्यायिक फिर्ता | २,००,०० | ० | २,००,०० |
| **२८९००** | **भैपरी आउने चालु खर्च** | **४३,९७,२०** | **०** | **४३,९७,२०** |
| २८९११ | भैपरी आउने चालु खर्च | ४३,९७,२० | ० | ४३,९७,२० |
| **पुंजीगत खर्च** | | **४,८८,४६,६४** | **१२,५६,७१,४६** | **१७,४५,१८,१०** |
| **२६३००** | **अन्य तहका सरकारहरूलाई अनुदान** | **४२,९४,५०** | **०** | **४२,९४,५०** |
| २६३३६ | सशर्त अनुदान । पुँजीगत। | ४२,९४,५० | ० | ४२,९४,५० |
| **३११००** | **स्थिर सम्पत्ति प्राप्ति खर्च** | **३,०५,९५,३९** | **१२,००,१८,२१** | **१५,०६,१३,६०** |
| ३११११ | आवासीय भवन निर्माण/खरिद | ३,९९,०० | ८०,७१ | ४,७९,७१ |
| ३१११२ | गैर आवासीय भवन निर्माण/खरिद | ८४,७६,६९ | ६२,५४,५७ | १,४७,३१,२६ |
| ३१११३ | निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च | ० | ४०,०० | ४०,०० |
| ३११२१ | सवारी साधन | १,४६,५० | १३,०० | १,५९,५० |
| ३११२२ | मेशिनरी तथा औजार | ५८,८१,१३ | ३,२७,१५ | ६२,०८,२८ |
| ३११२३ | फर्निचर तथा फिक्चर्स | ४,६७,७६ | ७८,२० | ५,४५,९६ |
| ३११३१ | पशुधन तथा बागवानी विकास खर्च | ० | ६,०० | ६,०० |
| ३११३४ | कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरीद खर्च | ५५,०० | ३०,०० | ८५,०० |
| ३११३५ | पुँजीगत परामर्श खर्च | ७,४८,५० | २१,३९,५० | २८,८८,०० |
| ३११५१ | सडक तथा पुल निर्माण | १२,८०,०० | ४,४७,३९,८४ | ४,६०,१९,८४ |
| ३११५३ | विद्युत संरचना निर्माण | २,१४,०० | १८,२०,०० | २०,३४,०० |
| ३११५४ | तटबन्ध तथा बाँध निर्माण | २,८६,०० | ६८,८२,३५ | ७१,६८,३५ |
| ३११५५ | सिंचाइ संरचना निर्माण | ३६,५७,५० | १,६९,०९,५० | २,०५,६७,०० |
| ३११५६ | खानेपानी संरचना निर्माण | ८,८१,२५ | १,५५,८६,८९ | १,६४,३८,१४ |
| ३११५७ | वन तथा वातावरण संरक्षण | ५,१३,७६ | १८,६९,०० | २३,८२,७६ |
| ३११५८ | सरसफाइ संरचना निर्माण | १,३४,०० | ० | १,३४,०० |
| ३११५९ | अन्य सार्वजनिक निर्माण | ६५,९४,७७ | १,६९,६८,०० | २,३४,६२,७७ |
| ३११६१ | निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च | ८,६१,०३ | १२,४४,०० | २१,०५,०३ |
| ३११७१ | पुँजीगत सुधार खर्च सार्वजनिक निर्माण | ९८,५० | ५०,२९,६० | ५१,२८,१० |
| **३१५००** | **भैपरी आउने पुँजीगत** | **१,३९,५६,७५** | **५६,५३,२५** | **१,९६,१०,००** |
| ३१५११ | भैपरी आउने पुँजीगत | १,३९,५६,७५ | ५६,५३,२५ | १,९६,१०,०० |
| **वितीय व्यवस्था** | | **३०,००,००** | **०** | **३०,००,००** |
| **३२१००** | **आन्तरिक वितीय सम्पत्ति** | **३०,००,००** | **०** | **३०,००,००** |
| ३२१४२ | सार्वजनिक संस्थानमा ऋण लगानी | ३,००,०० | ० | ३,००,०० |
| ३२१४३ | अन्य संस्थामा ऋण लगानी | ३,००,०० | ० | ३,००,०० |
| ३२१५१ | संस्थानमा शेयर लगानी | २४,००,०० | ० | २४,००,०० |

| खर्च संकेत नं. | खर्च शीर्षक | नगद | | कुल जम्मा |
|---|---|---|---|---|
| | | प्रदेश सरकार | संघ अनुदान | |
| | कुल जम्मा | १४,८४,४०,३२ | १४,४२,१९,०० | २९,२६,५९,३२ |

# साधारण र विकासगत व्यय अनुमान
## आर्थिक वर्ष २०८०/८१

अनुसूची - ६
(रु.हजारमा)

| शीर्षक | २०७९/८० को विनियोजन | २०८०/८१ को विनियोजन | वृद्धि प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| **साधारण** | ११,८४,९२,५४ | १०,८०,२३,३७ | -८.८४ |
| १ प्रतिबद्ध खर्च- तलब, निवृत्तभरण, सामाजिक सुरक्षा समेत | २,८६,३९,८४ | २,९०,१८,२९ | १.३२ |
| २ संचालन तथा कार्यक्रम खर्च | ७,८७,९४,२० | ६,५८,८४,५३ | -१६.३८ |
| ३ सशर्त चालु अनुदान | ९,१८,५० | ३,२९,२० | -६४.१६ |
| ४ वित्तीय हस्तान्तरण समानीकरण अनुदान | ७६,४०,०० | ८०,६१,३५ | ५.५२ |
| ५ वित्तीय हस्तान्तरण सशर्त अनुदान | ० | ६,४९,०० | १०० |
| ६ वित्तीय हस्तान्तरण विशेष अनुदान | २५,००,०० | ४०,८१,०० | ६३.२४ |
| **विकास** | २४,८९,७२,११ | १८,४६,३५,९५ | -२५.८४ |
| ७ पुँजीगत खर्च | २४,१४,४७,६१ | १७,०२,२३,६० | -२९.५ |
| ८ सशर्त पुँजीगत अनुदान | १०,२४,५० | ७,२८,०० | -२८.९४ |
| ९ पुँजीगत वित्तीय लगानी | ३०,००,०० | ३०,००,०० | ० |
| १० वित्तीय हस्तान्तरण सशर्त अनुदान | ० | ४२,९४,५० | १०० |
| १२ वित्तीय हस्तान्तरण समपुरक | ३५,००,०० | ६३,८९,८५ | ८२.५७ |
| **कुल जम्मा** | ३६,७४,६४,६५ | २९,२६,५९,३२ | -२०.३६ |

[illegible]

# खर्च शीर्षकगत व्यय अनुमान (वित्तीय व्यवस्था सहित)
## आर्थिक वर्ष २०८०/८१

अनुसूची - ७
(रु.हजारमा)

| शीर्षक | २०७८/७९ को यथार्थ खर्च | २०७९/८० को संशोधित अनुमान | २०८०/८१ को लक्ष्य | स्रोत: प्रदेश सरकार | संघ अनुदान: संघ | संघ अनुदान: वैदेशिक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चालु | ८,९२,५३,०० | १०,६७,७९,०२ | ११,९४,३५,७२ | १०,०८,८८,१८ | १,३८,६५,३६ | ४६,८२,१८ |
| २१००० पारिश्रमिक / सुविधा | १,४२,४७,२२ | २,७८,९५,६४ | २,३७,८०,२० | २,१४,५८,९६ | २०,०२,६१ | ३,१८,६३ |
| २११०० पारिश्रमिक / सुविधा | १,४१,१९,३१ | २,७७,२७,७९ | २,३५,९४,६६ | २,१२,७६,२२ | १९,९९,८१ | ३,१८,६३ |
| २१११० नगदमा दिइने पारिश्रमिक र सुविधा | १,०६,१९,७५ | २,३२,३६,५८ | १,८७,३५,१५ | १,६९,८०,८७ | १७,४७,८० | ६,४८ |
| २११११ पारिश्रमिक कर्मचारी | ९९,७७,४० | २,१५,४०,५६ | १,७९,४३,५६ | १,६१,८९,२८ | १७,४७,८० | ६,४८ |
| २१११२ पारिश्रमिक पदाधिकारी | ६,४२,३५ | १६,९६,०२ | ७,९१,५९ | ७,९१,५९ | ० | ० |
| २११२० जिन्सी वा जिन्सी बापत कर्मचारी दिइने पारिश्रमिक सुविधा | ७,२०,०१ | ९,७०,४२ | १४,०१,६३ | १०,३२,७२ | ६७,९६ | ३,००,९५ |
| २११२१ पोशाक | २,०१,०१ | ४,५१,७० | ६,३०,७५ | ३,१०,८० | १९,०० | ३,००,९५ |
| २११२२ खाद्यान्न | ५,१६,२२ | ५,०३,७२ | ७,५५,८८ | ७,०६,९२ | ४८,९६ | ० |
| २११२३ औषधी उपचार खर्च | २,७८ | १५,०० | १५,०० | १५,०० | ० | ० |
| २११३० कर्मचारी भत्ता | २६,५९,३९ | २८,६५,२७ | ३१,८४,४९ | ३०,३७,५४ | १,३५,७५ | ११,२० |
| २११३१ स्थानीय भत्ता | ३,५६,६८ | ६,५८,३१ | ६,६२,२० | ५,९७,३५ | ६४,८५ | ० |
| २११३२ महंगी भत्ता | ४,२८,३९ | ३,५८,३९ | ६,९३,३७ | ६,४२,७३ | ५०,६४ | ० |
| २११३४ कर्मचारीको बैठक भत्ता | १,४०,०९ | ६४,०० | २,६१,९६ | २,३३,१० | १७,६६ | ११,२० |
| २११३५ कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार | १,०५,१७ | १०,९६,९५ | ५,८० | ५,८० | ० | ० |
| २११३९ अन्य भत्ता | १६,२९,०६ | ६,८७,६२ | १५,६१,१६ | १५,५८,५६ | २,६० | ० |
| २११४० पदाधिकारी भत्ता तथा अन्य सुविधा | १,२०,१६ | ६,५५,५२ | २,७३,३९ | २,२५,०९ | ४८,३० | ० |
| २११४१ पदाधिकारी बैठक भत्ता | ५७,४१ | १,०७,५४ | १,४१,१८ | १,४१,१८ | ० | ० |
| २११४२ पदाधिकारी अन्य सुविधा | २७,३२ | २५,८६ | ४४,७१ | ४४,७१ | ० | ० |
| २११४९ पदाधिकारी अन्य भत्ता | ३५,४३ | ५,२२,१२ | ८७,५० | ३९,२० | ४८,३० | ० |
| २१२०० कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा खर्च | १,२७,९१ | १,६७,८५ | १,८५,५४ | १,८२,७४ | २,८० | ० |
| २१२१० कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा खर्च | १,२७,९१ | १,६७,८५ | १,८५,५४ | १,८२,७४ | २,८० | ० |
| २१२११ सामाजिक सुरक्षा कोष खर्च | ८३,६४ | ० | ० | ० | ० | ० |
| २१२१२ योगदानमा आधारित निवृत्तभरण तथा उपदान कोष खर्च | ७२ | ७,९३ | ६५,२५ | ६५,२५ | ० | ० |
| २१२१३ योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च | ४३,५५ | १,५९,९२ | १,२०,२९ | १,१७,४९ | २,८० | ० |
| २२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग | ५,२४,८६,१८ | ५,४६,०९,६७ | ६,२०,३०,०२ | ४,६१,२५,५८ | १,१५,४०,८९ | ४३,६३,५५ |
| २२१०० सेवा महसुल | ८,४२,३८ | ११,१३,८४ | १२,४९,९२ | ११,८९,२० | ५१,६२ | ९,१० |
| २२११० सेवा महसुल | ८,४२,३८ | ११,१३,८४ | १२,४९,९२ | ११,८९,२० | ५१,६२ | ९,१० |
| २२१११ पानी तथा बिजुली | ६,१५,०२ | ७,३५,४६ | ९,१८,६१ | ८,७४,१९ | ३७,९२ | ६,५० |
| २२११२ संचार महसुल | २,२७,३६ | ३,७८,३८ | ३,२२,७६ | ३,०६,४६ | १३,७० | २,६० |
| २२११३ सार्वजनिक उपयोगिताको सेवा खर्च | ० | ० | ८,५५ | ८,५५ | ० | ० |
| २२२०० पूँजीगत सम्पत्तिको संचालन र सम्भार खर्च | २२,२०,८० | २५,७०,८९ | २७,१५,०२ | २६,२०,२३ | ६७,७६ | २६,०३ |
| २२२१० सवारी साधनको संचालन तथा सम्भार खर्च | १५,९९,४२ | १७,५२,५७ | १८,३०,४६ | १७,६०,८७ | ४६,४३ | २३,१६ |
| २२२११ इन्धन (पदाधिकारी) | ७९,२३ | १,६५,०२ | १,३२,९८ | १,३२,९८ | ० | ० |
| २२२१२ इन्धन (कार्यालय प्रयोजन) | ६,७७,४५ | ८,९९,५५ | ७,८७,०० | ७,४२,२३ | २७,१३ | १६,६४ |
| २२२१३ सवारी साधन मर्मत खर्च | ६,१९,७८ | ४,२३,२७ | ६,९०,६२ | ६,७१,४० | १३,०० | ६,२२ |
| २२२१४ बिमा तथा नवीकरण खर्च | १,२२,९६ | २,६४,७३ | २,१९,८६ | २,१३,२६ | ६,३० | ३० |
| २२२२० मेशिनरी तथा औजार संचालन तथा सम्भार खर्च | २,३७,४५ | १,३३,७४ | ५,११,६४ | ४,९८,८४ | ९,९३ | २,८७ |
| २२२२१ मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च | २,३७,४५ | १,३३,७४ | ५,११,६४ | ४,९८,८४ | ९,९३ | २,८७ |
| २२२३० निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको संभार खर्च | ४,७४,९० | ६,८१,९९ | ३,४२,२७ | ३,३५,०७ | ७,२० | ० |
| २२२३१ निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्च | ४,७४,९० | ६,८१,९९ | ३,४२,२७ | ३,३५,०७ | ७,२० | ० |
| २२२९० अन्य सम्पत्तिहरूको संचालन तथा सम्भार खर्च | ९,०३ | २,५९ | २९,६५ | २५,४५ | ४,२० | ० |
| २२२९१ अन्य सम्पत्तिहरूको संचालन तथा सम्भार खर्च | ९,०३ | २,५९ | २९,६५ | २५,४५ | ४,२० | ० |
| २२३०० कार्यालय सामान तथा सेवाहरू | १५,०७,८४ | १३,४०,६२ | १९,०९,९८ | १५,९७,०५ | २,८७,५१ | २५,४२ |
| २२३१० कार्यालय सामान तथा सेवाहरू | १५,०७,८४ | १३,४०,६२ | १९,०९,९८ | १५,९७,०५ | २,८७,५१ | २५,४२ |
| २२३११ मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री | ९,२१,२१ | ९,०९,८६ | ८,३३,८८ | ८,०६,७६ | २०,४० | ६,७२ |
| २२३१२ पशुपंक्षीहरूको आहार | ८,०९ | १,०३ | ५,१० | ५० | ३,६० | ० |
| २२३१३ पुस्तक तथा सामग्री खर्च | १३,८५ | २,१३ | १,८८,४८ | ११,४० | १,७७,०८ | ० |
| २२३१४ इन्धन - अन्य प्रयोजन | ८९,१७ | १,५८,८४ | ९१,३३ | ८३,९८ | ७,३५ | ० |
| २२३१५ पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च | ३,८५,२३ | १,६९,०५ | ७,०६,५१ | ६,३६,९३ | ६०,४८ | ९,१० |
| २२३१९ अन्य कार्यालय संचालन खर्च | ९०,२९ | ९९,७१ | ८५,६८ | ५७,४८ | १८,६० | ९,६० |
| २२४०० सेवा तथा परामर्श खर्च | ५२,१७,१३ | ७५,८७,८७ | ८१,४३,९२ | ७२,२०,७० | ६,९५,६९ | २,२७,५३ |
| २२४१० परामर्श तथा अन्य सेवा शुल्क | ५२,१७,१३ | ७५,८७,८७ | ८१,४३,९२ | ७२,२०,७० | ६,९५,६९ | २,२७,५३ |
| २२४११ सेवा र परामर्श खर्च | ५,२०,६६ | ५,६१,३२ | ७,३१,११ | ७,२९,७१ | ० | १,४० |
| २२४१२ सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च | ८१,९८ | ६४,२२ | ३,५६,६० | १,०५,४७ | ३०,३० | २,२०,८३ |

| शीर्षक | २०७८/७९ को यथार्थ खर्च | २०७९/८० को संशोधित अनुमान | २०८०/८१ को लक्ष्य | स्रोत | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | प्रदेश सरकार | संघ अनुदान | |
| | | | | | संघ | वैदेशिक |
| २२४१३ करार सेवा शुल्क | ३३,७६,७१ | ४५,७८,३५ | ५४,७८,१३ | ५२,०७,४४ | २,६५,३९ | ५,३० |
| २२४१९ अन्य सेवा शुल्क | १२,३७,७८ | २२,८३,९८ | १५,७८,०८ | ११,७८,०८ | ४,००,०० | ० |
| **२२५०० कार्यक्रम सम्बन्धी खर्चहरू** | **४,०८,६४,२६** | **४,१०,४९,७९** | **४,५८,१५,८५** | **३,१४,२१,२२** | **१,०३,५३,०७** | **४०,४१,५६** |
| **२२५१० तालिम तथा गोष्ठी** | **२७,१८,२२** | **२९,७४,४५** | **२२,३८,४२** | **१५,८९,९०** | **५,३०,६१** | **१,१७,९१** |
| २२५११ कर्मचारी तालिम खर्च | ७,१३,९७ | ११,६६,२८ | १०,६६,२४ | ४,४४,७९ | ५,३०,१५ | ९१,३० |
| २२५१२ सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च | २०,०४,२५ | १८,०८,१७ | ११,७२,१८ | ११,४५,११ | ४६ | २६,६१ |
| **२२५२० उत्पादन सामग्री, सेवा तथा अन्य कार्यक्रम खर्च** | **३,८१,४६,०४** | **३,८०,७५,३४** | **४,३५,७७,४३** | **२,९८,३१,३२** | **९८,२२,४६** | **३९,२३,६५** |
| २२५२१ उत्पादन सामग्री / सेवा खर्च | ४,३७,१७ | १,७०,१३ | ३,१७,८५ | ३,१५,८५ | २,०० | ० |
| २२५२२ कार्यक्रम खर्च | ३,७५,७६,५६ | ३,७८,०९,५९ | ४,२१,२४,७२ | २,९४,१६,४६ | ९७,८१,६३ | २९,२६,६३ |
| २२५२३ विशेष कार्यक्रम खर्च | ० | ० | १०,२२,०० | ० | ३१,०० | ९,९१,०० |
| २२५२९ विविध कार्यक्रम खर्च | १,३२,३१ | ९५,६२ | १,१२,८६ | ९९,०१ | ७,८३ | ६,०२ |
| **२२६०० अनुगमन,मूल्यांकन र भ्रमण खर्च** | **१२,२१,३१** | **६,८०,५९** | **१३,३४,११** | **१२,३८,१६** | **७६,६४** | **१९,३१** |
| **२२६१० अनुगमन,मूल्यांकन र भ्रमण खर्च** | **१२,२१,३१** | **६,८०,५९** | **१३,३४,११** | **१२,३८,१६** | **७६,६४** | **१९,३१** |
| २२६११ अनुगमन, मूल्यांकन खर्च | १०,०४,३८ | ३,८५,६१ | १०,२८,०३ | ९,४८,६४ | ६३,०८ | १६,३१ |
| २२६१२ भ्रमण खर्च | २,१६,९३ | २,९५,९८ | ३,०६,०८ | २,८९,५२ | १३,५६ | ३,०० |
| **२२७०० विविध खर्च** | **६,१२,४६** | **३,६६,०७** | **८,६३,२२** | **८,३९,०२** | **८,६०** | **१५,६०** |
| **२२७१० विविध खर्च** | **६,१२,४६** | **३,६६,०७** | **८,६३,२२** | **८,३९,०२** | **८,६०** | **१५,६०** |
| २२७११ विविध खर्च | ६,१२,४६ | ३,६६,०७ | ८,६३,२२ | ८,३९,०२ | ८,६० | १५,६० |
| **२५००० सहायता (Subsidy)** | **४,८१,२५** | **१,९५,५०** | **५,२०,७०** | **५,२०,७०** | **०** | **०** |
| **२५२०० व्यवसायहरूलाई सहायता** | **१,२५,६२** | **१,४७,५०** | **५,०१,००** | **५,०१,००** | **०** | **०** |
| **२५२१० गैह वित्तीय व्यवसायहरूलाई सहायता** | **१,२५,६२** | **१,४७,५०** | **५,०१,००** | **५,०१,००** | **०** | **०** |
| २५२१२ गैह वित्तीय व्यवसायहरूलाई पुँजीगत सहायता | १,२५,६२ | १,४७,५० | ५,०१,०० | ५,०१,०० | ० | ० |
| **२५३०० अन्य सहायता** | **३,५५,६३** | **४८,००** | **१९,७०** | **१९,७०** | **०** | **०** |
| **२५३१० अन्य सामाजिक संस्थालाई सहायता** | **३,५५,६३** | **४८,००** | **१९,७०** | **१९,७०** | **०** | **०** |
| २५३११ शैक्षिक संस्थाहरूलाई सहायता | २,३२,०० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २५३१५ अन्य सहायता | १,२३,६३ | ४८,०० | १९,७० | १९,७० | ० | ० |
| **२६००० अनुदान** | **१,९५,७८,५०** | **१,९३,६२,८०** | **२,४०,१२,२०** | **२,४०,१२,२०** | **०** | **०** |
| **२६३०० अन्य तहका सरकारहरूलाई अनुदान** | **१,९१,३२,४७** | **१,३६,४०,००** | **२,३४,७५,७०** | **२,३४,७५,७०** | **०** | **०** |
| **२६३३० आन्तरिक अनुदान** | **१,९१,३२,४७** | **१,३६,४०,००** | **२,३४,७५,७०** | **२,३४,७५,७०** | **०** | **०** |
| २६३३१ समानिकरण अनुदान | ७२,५५,०० | ७६,४०,०० | ८०,६१,३५ | ८०,६१,३५ | ० | ० |
| २६३३२ सशर्त अनुदान | ४७,७१,७३ | ० | ६,४९,०० | ६,४९,०० | ० | ० |
| २६३३३ विशेष अनुदान | ३५,३०,३४ | २५,००,०० | ४०,८१,०० | ४०,८१,०० | ० | ० |
| २६३३४ समपुरक अनुदान | ३६,७०,४० | ३५,००,०० | ६३,८९,८५ | ६३,८९,८५ | ० | ० |
| २६३३५ अन्य अनुदान | १५,०० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २६३३६ सशर्त अनुदान ( पुँजीगत) | ० | ० | ४२,९४,५० | ४२,९४,५० | ० | ० |
| **२६४०० सामाजिक सेवा अनुदान** | **४,४६,०३** | **५७,२२,८०** | **५,३६,५०** | **५,३६,५०** | **०** | **०** |
| **२६४१० चालु अनुदान** | **६७,७८** | **४८,४५,८०** | **३,०९,५०** | **३,०९,५०** | **०** | **०** |
| २६४११ सरकारी निकाय, समिति एवं बोर्डहरूलाई निःशर्त चालु अनुदान | ० | ३,०९,०० | ८०,०० | ८०,०० | ० | ० |
| २६४१२ सरकारी निकाय, समिति एवं बोर्डहरूलाई सःशर्त चालु अनुदान | ८,०२ | ४३,२१,८० | २,०९,५० | २,०९,५० | ० | ० |
| २६४१३ अन्य संस्थालाई अनुदान' सःशर्त | ५९,७६ | २,१५,०० | २०,०० | २०,०० | ० | ० |
| **२६४२० पुँजीगत अनुदान** | **३,७८,२५** | **८,७७,००** | **२,२७,००** | **२,२७,००** | **०** | **०** |
| २६४२१ सरकारी निकाय, समिति, बोर्ड — पुँजीगत निःशर्त अनुदान | ३,७८,२५ | २,५०,०० | ५,०० | ५,०० | ० | ० |
| २६४२२ सरकारी निकाय, समिति, बोर्ड — पुजिगत सःशर्त अनुदान | ० | ६,२७,०० | २,२२,०० | २,२२,०० | ० | ० |
| **२७००० सामाजिक सुरक्षा** | **१८,५५,७७** | **३९,९८,२५** | **२५,४५,०७** | **२२,२८,३७** | **३,१६,७०** | **०** |
| **२७१०० सामाजिक सुरक्षा** | **६,८३,३१** | **९,४७,५९** | **५,७१,७०** | **५,५६,७०** | **१५,००** | **०** |
| **२७११० सामाजिक सुरक्षा** | **६,८३,३१** | **९,४७,५९** | **५,७१,७०** | **५,५६,७०** | **१५,००** | **०** |
| २७१११ सामाजिक सुरक्षा | २,२६,५९ | २,२६,६२ | ३,५६,७० | ३,५६,७० | ० | ० |
| २७११२ अन्य सामाजिक सुरक्षा | ४,५६,७२ | ७,२०,९७ | २,१५,०० | २,००,०० | १५,०० | ० |
| **२७२०० सामाजिक सहायता** | **११,७२,४६** | **३०,५०,६६** | **१९,७३,३७** | **१६,७१,६७** | **३,०१,७०** | **०** |
| **२७२१० सामाजिक सहायता** | **११,७२,४६** | **३०,५०,६६** | **१९,७३,३७** | **१६,७१,६७** | **३,०१,७०** | **०** |
| २७२११ छात्रवृत्ति | २,९८,६१ | २२,४२,७६ | ७,०६,०० | ४,८६,०० | २,२०,०० | ० |
| २७२१३ औषधी खरिद खर्च | ८,१५,२५ | ७,५७,९० | १२,३७,३७ | ११,५५,६७ | ८१,७० | ० |
| २७२१९ अन्य सामाजिक सहायता | ५८,६० | ५०,०० | ३०,०० | ३०,०० | ० | ० |
| **२८००० अन्य खर्च** | **६,०४,०८** | **७,१७,१६** | **६५,४७,५३** | **६५,४२,३७** | **५,१६** | **०** |
| **२८१०० सम्पत्ति सम्बन्धी खर्च** | **५,९९,५०** | **६,८७,१६** | **८,३४,४३** | **८,२९,२७** | **५,१६** | **०** |
| **२८१४० भाडा** | **५,९९,५०** | **६,८७,१६** | **८,३४,४३** | **८,२९,२७** | **५,१६** | **०** |
| २८१४१ जग्गाको भाडा | १,०० | ० | २,०० | २,०० | ० | ० |
| २८१४२ घर भाडा | ५,६१,३२ | ५,८२,४१ | ७,३१,७६ | ७,२६,६० | ५,१६ | ० |
| २८१४३ सवारी साधन तथा मेशिनर औजार भाडा | ३७,१८ | १,०४,६५ | ९९,७७ | ९९,७७ | ० | ० |

| शीर्षक | २०७८/७९ को यथार्थ खर्च | २०७९/८० को संशोधित अनुमान | २०८०/८१ को लक्ष्य | स्रोत | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | प्रदेश सरकार | संघ अनुदान | |
| | | | | | संघ | वैदेशिक |
| २८१४९ अन्य भाडा | ० | ० | ९० | ९० | ० | ० |
| **२८२०० फिर्ता खर्च** | ४,०८ | ० | ३,१५,९० | ३,१५,९० | ० | ० |
| **२८२१० फिर्ता खर्च** | ४,०८ | ० | ३,१५,९० | ३,१५,९० | ० | ० |
| २८२११ राजस्व फिर्ता | १३ | ० | १,१५,९० | १,१५,९० | ० | ० |
| २८२१२ न्यायिक फिर्ता | ० | ० | २,००,०० | २,००,०० | ० | ० |
| २८२१९ अन्य फिर्ता | ३,९५ | ० | ० | ० | ० | ० |
| **२८९०० भैपरी आउने चालु खर्च** | ५० | ३०,०० | ५३,९७,२० | ५३,९७,२० | ० | ० |
| **२८९१० भैपरी आउने चालु खर्च** | ५० | ३०,०० | ५३,९७,२० | ५३,९७,२० | ० | ० |
| २८९११ भैपरी आउने चालु खर्च | ५० | ३०,०० | ५३,९७,२० | ५३,९७,२० | ० | ० |
| **पूंजीगत खर्च** | ११,९५,२०,५९ | १७,२८,९९,९१ | १७,०२,२३,६० | ४,४५,५२,१४ | ११,७४,६५,६४ | ८२,०५,८२ |
| **३१००० पूँजीगत खर्च** | ११,९५,२०,५९ | १७,२८,९९,९१ | १७,०२,२३,६० | ४,४५,५२,१४ | ११,७४,६५,६४ | ८२,०५,८२ |
| **३११०० स्थिर सम्पत्ति प्राप्ति खर्च** | ११,९५,२०,५९ | १६,२८,६९,९१ | १५,०६,१३,६० | ३,०५,९५,३९ | ११,१८,१२,३९ | ८२,०५,८२ |
| **३१११० भवन तथा संरचना** | १,३८,८९,२३ | २,८२,४८,६१ | १,५२,५०,९७ | ८८,७५,६९ | ६२,२७,४६ | १,४७,८२ |
| ३११११ आवासीय भवन निर्माण/खरिद | ४,९६ | ३,७०,०० | ४,७९,७१ | ३,९९,०० | ८०,७१ | ० |
| ३१११२ गैर आवासीय भवन निर्माण/खरिद | १,३८,७४,३१ | २,७८,७८,६१ | १,४७,३१,२६ | ८४,७६,६९ | ६१,०६,७५ | १,४७,८२ |
| ३१११३ निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च | ९,९६ | ० | ४०,०० | ० | ४०,०० | ० |
| **३११२० सवारी साधन तथा मेशिनरी औजार** | ७२,२४,४२ | १,८४,२०,२८ | ६९,१३,७४ | ६४,९५,३९ | ३,७५,३५ | ४३,०० |
| ३११२१ सवारी साधन | १४,१५,२५ | ५,०६,३१ | १,५९,५० | १,४६,५० | १३,०० | ० |
| ३११२२ मेशिनरी तथा औजार | ५०,१५,८१ | १,७१,६४,७९ | ६२,०८,२८ | ५८,८१,१३ | २,९४,१५ | ३३,०० |
| ३११२३ फर्निचर तथा फिक्चर्स | ७,९३,३६ | ७,४९,२८ | ५,४५,९६ | ४,६७,७६ | ६८,२० | १०,०० |
| **३११३० अन्य पूँजीगत खर्च** | १०,२४,६२ | २२,६०,५१ | २९,७९,०० | ८,०३,५० | १९,९९,५० | १,७६,०० |
| ३११३१ पशुधन तथा बागवानी विकास खर्च | ० | ० | ६,०० | ० | ० | ६,०० |
| ३११३४ कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरीद खर्च | ३५,०१ | ६३,०० | ८५,०० | ५५,०० | ३०,०० | ० |
| ३११३५ पूँजीगत परामर्श खर्च | ९,८९,६१ | २१,९७,५१ | २८,८८,०० | ७,४८,५० | १९,६९,५० | १,७०,०० |
| **३११५० सार्वजनिक निर्माण** | ८,८४,८८,५४ | ९,८७,५७,८१ | ११,८२,३६,७६ | १,३४,६१,२८ | ९,७८,६१,४८ | ६९,१४,०० |
| ३११५१ सडक तथा पुल निर्माण | ३,०३,७३,२१ | ३,३०,४८,८० | ४,६०,१९,८४ | १२,८०,०० | ४,४७,३९,८४ | ० |
| ३११५३ विद्युत संरचना निर्माण | १,३०,७१ | ५,४०,०० | २०,३४,०० | २,१४,०० | १८,२०,०० | ० |
| ३११५४ तटबन्ध तथा बाँध निर्माण | ८४,६२,५७ | १,६०,१४,०० | ७१,६८,२५ | २,८६,०० | ६८,१२,२५ | ७०,०० |
| ३११५५ सिंचाइ संरचना निर्माण | २,०५,४१,४२ | ७४,३७,७० | २,०५,६७,०० | ३६,५७,५० | १,६९,०९,५० | ० |
| ३११५६ खानेपानी संरचना निर्माण | १,४३,५५,८९ | ६९,१०,०० | १,६४,६८,१४ | ८,८१,२५ | १,५५,८६,८९ | ० |
| ३११५७ वन तथा वातावरण संरक्षण | ११,८६,७३ | १०,४५,०० | २३,८२,७६ | ५,१३,७६ | ११,३५,०० | ७,३४,०० |
| ३११५८ सरसफाइ संरचना निर्माण | १,२३,९२ | ५०,८० | १,३४,०० | १,३४,०० | ० | ० |
| ३११५९ अन्य सार्वजनिक निर्माण | १,३४,२४,०९ | ३,३७,११,५१ | २,३४,६२,७७ | ६४,९४,७७ | १,०८,५८,०० | ६१,१०,०० |
| **३११६० निर्मित संरचनाको सुधार खर्च** | ७,७६,३२ | १०,१९,२० | २१,०५,०३ | ८,६१,०३ | ३,१९,०० | ९,२५,०० |
| ३११६१ निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च | ७,७६,३२ | १०,१९,२० | २१,०५,०३ | ८,६१,०३ | ३,१९,०० | ९,२५,०० |
| **३११७० पूँजीगत सुधार खर्च** | ८१,१७,४६ | १,४१,६३,५० | ५१,२८,१० | ९८,५० | ५०,२९,६० | ० |
| ३११७१ पूँजीगत सुधार खर्च सार्वजनिक निर्माण | ८१,१७,४६ | १,४१,६३,५० | ५१,२८,१० | ९८,५० | ५०,२९,६० | ० |
| **३१५०० भैपरी आउने पूँजीगत** | ० | १,००,३०,०० | १,९६,१०,०० | १,३९,५६,७५ | ५६,५३,२५ | ० |
| **३१५१० भैपरी आउने पूँजीगत** | ० | १,००,३०,०० | १,९६,१०,०० | १,३९,५६,७५ | ५६,५३,२५ | ० |
| ३१५११ भैपरी आउने पूँजीगत | ० | १,००,३०,०० | १,९६,१०,०० | १,३९,५६,७५ | ५६,५३,२५ | ० |
| **वित्तीय व्यवस्था** | ० | ० | ३०,००,०० | ३०,००,०० | ० | ० |
| **३२००० वित्तीय सम्पत्ति** | ० | ० | ३०,००,०० | ३०,००,०० | ० | ० |
| **३२१०० आन्तरिक वित्तीय सम्पत्ति** | ० | ० | ३०,००,०० | ३०,००,०० | ० | ० |
| **३२१४० खुद ऋण लगानी** | ० | ० | ६,००,०० | ६,००,०० | ० | ० |
| ३२१४२ सार्वजनिक संस्थानमा ऋण लगानी | ० | ० | ३,००,०० | ३,००,०० | ० | ० |
| ३२१४३ अन्य संस्थामा ऋण लगानी | ० | ० | ३,००,०० | ३,००,०० | ० | ० |
| **३२१५० खुद शेयर लगानी** | ० | ० | २४,००,०० | २४,००,०० | ० | ० |
| ३२१५१ संस्थानमा शेयर लगानी | ० | ० | २४,००,०० | २४,००,०० | ० | ० |
| जम्मा खर्च | २०,८७,७३,५९ | २७,९६,७८,९३ | २९,२६,५९,३२ | १४,८४,४०,३२ | १३,१३,३१,०० | १,२८,८८,०० |

# प्रशासनिक व्यय अनुमान
## आर्थिक वर्ष २०८०/८१

अनुसूची - ८
(रु.हजारमा)

| शीर्षक | २०७८/७९ को यथार्थ खर्च | २०७९/८० को संशोधित अनुमान | २०८०/८१ को लक्ष्य | स्रोत | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | प्रदेश सरकार | संघ अनुदान | |
| | | | | | संघ | वैदेशिक |
| **संवैधानिक अंगहरु** | १९,२१,६८ | ३८,४६,६७ | २८,५८,१४ | २८,५८,१४ | ० | ० |
| **प्रदेश व्यवस्थापिका** | १४,१७,९७ | ३५,२१,६६ | १९,०८,१४ | १९,०८,१४ | ० | ० |
| चालु | १३,१३,१० | ३०,९८,२३ | १८,११,४५ | १८,११,४५ | ० | ० |
| पूंजीगत खर्च | १,०४,८७ | ४,२३,४३ | ९६,६९ | ९६,६९ | ० | ० |
| **प्रदेश लोक सेवा आयोग** | ५,०३,७१ | ३,२५,०१ | ९,५०,०० | ९,५०,०० | ० | ० |
| चालु | ३,८०,६६ | १,०८,६६ | ७,८७,५० | ७,८७,५० | ० | ० |
| पूंजीगत खर्च | १,२३,०५ | २,१६,३५ | १,६२,५० | १,६२,५० | ० | ० |
| मन्त्रालय | १८,७७,३४,४४ | २५,१५,६७,४५ | २४,७५,७८,३८ | १०,९०,१२,६३ | १२,५६,७७,७५ | १,२८,८८,०० |
| **मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय** | १९,२२,९९ | ५७,८२,०६ | १,३०,८२,०२ | १,१४,४६,०२ | ६५,०० | १५,७१,०० |
| चालु | १६,३५,४९ | ५३,६७,५६ | ३१,६१,५१ | १५,४४,५१ | ६५,०० | १५,५१,०० |
| पूंजीगत खर्च | २,८७,५० | ४,१४,५० | ९९,२०,५१ | ९९,००,५१ | ० | २०,०० |
| **आर्थिक मामिला मन्त्रालय** | १२,६५,०१ | ३७,०८,५४ | ७१,९४,८६ | ७१,९४,८६ | ० | ० |
| चालु | ८,४०,३८ | ३५,९०,६४ | ७०,५०,०६ | ७०,५०,०६ | ० | ० |
| पूंजीगत खर्च | ४,२४,६३ | १,१७,९० | १,४४,८० | १,४४,८० | ० | ० |
| **उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय** | १,७२,९६,२४ | १,२५,३४,४३ | १,८१,८५,४८ | १,४७,०९,९८ | २०,२५,५० | १४,५०,०० |
| चालु | ६६,७१,६३ | ३४,२८,५१ | १,११,९५,०८ | ९९,७३,५८ | ५,७५,५० | ६,४६,०० |
| पूंजीगत खर्च | १,०६,२४,६१ | ९१,०५,९२ | ६९,९०,४० | ४७,३६,४० | १४,५०,०० | ८,०४,०० |
| **भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय** | २,२०,९६,२४ | २,७७,१४,३७ | २,५०,७१,६६ | २,३२,३०,६६ | ६,५०,०० | ११,९१,०० |
| चालु | १,९९,४२,२२ | २,६०,२९,३४ | २,०९,२६,८३ | १,९५,५५,८३ | ५,११,०० | ९,६०,०० |
| पूंजीगत खर्च | २१,५४,०२ | १६,८५,०३ | ४१,४४,८३ | ३६,७४,८३ | १,३९,०० | २,३१,०० |
| **आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय** | ५४,२८,०० | १,२९,८०,६९ | ३९,३०,०० | ३९,३०,०० | ० | ० |
| चालु | ३३,१५,८९ | २,०५,०० | १४,५०,२० | १४,५०,२० | ० | ० |
| पूंजीगत खर्च | २१,१२,११ | १,२७,७५,६९ | २४,७९,८० | २४,७९,८० | ० | ० |
| **भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय** | ९,०१,९६,९४ | १०,८८,९९,०६ | १२,६८,१८,१६ | १,२०,८२,०१ | १०,७७,३६,१५ | ७०,००,०० |
| चालु | ३२,५५,५८ | २५,६४,६९ | ४९,३५,३९ | ४९,१६,६४ | १८,७५ | ० |
| पूंजीगत खर्च | ८,६९,४१,३६ | १०,६३,३४,३७ | १२,१८,८२,७७ | ७१,६५,३७ | १०,७७,१७,४० | ७०,००,०० |
| **सामाजिक विकास मन्त्रालय** | ४,९३,१४,०७ | ७,९५,९३,३० | ५,२९,९१,२० | ३,६१,१४,१० | १,५२,०१,१० | १६,७६,०० |
| चालु | ३,२६,१६,८७ | ४,७७,६६,५८ | ३,८६,०१,९० | २,४३,८१,६१ | १,२६,९५,११ | १५,२५,१८ |
| पूंजीगत खर्च | १,६६,९७,२० | ३,१८,२६,७२ | १,४३,८९,३० | १,१७,३२,४९ | २५,०५,९९ | १,५०,८२ |
| **प्रदेश योजना आयोग** | २,१५,९५ | ३,५५,०० | ३,०५,०० | ३,०५,०० | ० | ० |
| चालु | १,६३,७१ | ३,५५,०० | २,९३,०० | २,९३,०० | ० | ० |
| पूंजीगत खर्च | ५१,२४ | ० | १२,०० | १२,०० | ० | ० |
| **अर्थ मन्त्रालय-वित्तिय व्यवस्था तथा ऋण भुक्तानी** | ० | ० | ३०,००,०० | ३०,००,०० | ० | ० |
| **अर्थ - वित्तीय व्यवस्था** | ० | ० | ३०,००,०० | ३०,००,०० | ० | ० |
| वित्तीय व्यवस्था | ० | ० | ३०,००,०० | ३०,००,०० | ० | ० |
| **अर्थ बजेट** | ० | १,०६,२४,८१ | १,५७,४७,१० | १,००,९३,८५ | ५६,५३,२५ | ० |
| **अर्थ - विविध** | ० | १,०६,२४,८१ | १,५७,४७,१० | १,००,९३,८५ | ५६,५३,२५ | ० |
| चालु | ० | ६,२४,८१ | ५७,४७,१० | ५७,४७,१० | ० | ० |
| पूंजीगत खर्च | ० | १,००,००,०० | १,००,००,०० | ४३,४६,७५ | ५६,५३,२५ | ० |
| स्थानीय तह | १,९१,१७,४७ | १,३६,४०,०० | २,३४,७५,७० | २,३४,७५,७० | ० | ० |
| स्थानीय तह | १,९१,१७,४७ | १,३६,४०,०० | २,३४,७५,७० | २,३४,७५,७० | ० | ० |
| चालु | १,९१,१७,४७ | १,३६,४०,०० | २,३४,७५,७० | २,३४,७५,७० | ० | ० |
| जम्मा खर्च | २०,८७,७३,५९ | २७,९६,७८,९३ | २९,२६,५९,३२ | १४,८५,४०,३२ | १३,१३,३१,०० | १,२८,८८,०० |

# लैंगिक उत्तरदायी बजेट अनुसारको व्यय अनुमान

## आर्थिक वर्ष २०८०/८१

अनुसूची - ९
(रु.हजारमा)

| निकाय | प्रत्यक्ष लाभ | अप्रत्यक्ष लाभ | तटस्थ | जम्मा |
|---|---|---|---|---|
| ३०१ प्रदेश व्यवस्थापिका | ० | ० | १९०८९४ | १९०८९४ |
| ३१० प्रदेश लोक सेवा आयोग | ० | ० | ९३००० | ९३००० |
| ३०१ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय | १६०४०० | ३३०० | ११४४६०२ | १३०८३०२ |
| ३०५ आर्थिक मामिला मन्त्रालय | ० | ७११५८६ | ० | ७११५८६ |
| ३०७ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय | १४१८४६० | ३८७८८८ | १३५०० | १८१९८४८ |
| ३१२ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय | २३००७८१ | १०६३८५ | ० | २४०७१६६ |
| ३१४ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय | ० | ३९३००० | ० | ३९३००० |
| ३३० भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय | ७०५८००८ | ५६२३८०८ | ० | १२६८१८१६ |
| ३५० सामाजिक विकास मन्त्रालय | २५९५६७७ | २८०१५४३ | १९०० | ५३९९१२० |
| ३९९ प्रदेश योजना आयोग | ३०५०० | ० | ० | ३०५०० |
| ५०१ अर्थ - वित्तीय व्यवस्था | ० | ३००००० | ० | ३००००० |
| ६०१ अर्थ - विविध | ० | १५०४७१० | ० | १५०४७१० |
| ८०१ स्थानीय तह | २३४७५०० | ० | ० | २३४७५०० |
| जम्मा खर्च | १५,९१,१३,२६ | ११,८३,२२,२० | १,४४,३८,९६ | २९,१८,७४,४२ |

| संकेत | लैंगिक उत्तरदायी बजेट | रकम | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| १ | प्रत्यक्ष लाभ | १५९११३२६ | ५४.५१ |
| २ | अप्रत्यक्ष लाभ | ११८३२२२० | ४०.५४ |
| ३ | तटस्थ | १४४३८९६ | ४.९५ |

**द्रष्टव्य : लैंगिक उत्तरदायी बजेट छुट्याईएका आधारहरु**
बजेटका प्रत्येक क्रियाकलाप लैंगिक दृष्टिले कत्ता उन्मुख छ भनि निर्क्योल गर्न निम्नानुसार वर्गीकरण गरिएको छ :
क) महिलालाई ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी लाभ पुग्ने क्रियाकलाप — प्रत्यक्ष
ख ) महिलालाई २० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि तर ५० प्रतिशत भन्दा कम लाभ पुग्ने क्रियाकलाप — अप्रत्यक्ष
ग ) महिलालाई २० प्रतिशत भन्दा न्युन लाभ पुग्ने क्रियाकलाप — तटस्थ

उपरोक्तनुसार प्रतिशत निकाल्दा देहायका क्रियाकलापहरुको सूचकहरुका मुल्यांकनका आधारमा प्राप्त हुने नतिजा बमोजिम लैंगिक बजेटलाई वर्गीकरण

| क. स. | लैंगिक उत्तरदायी बजेट | प्रतिशत |
|---|---|---|
| १ | योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा महिलाको सहभागिता | २० |
| २ | महिलाहरुको क्षमता अभिवृद्धि | २० |
| ३ | कार्यक्रमका महिलाहरुको लागि लाभ तथा नियन्त्रणमा सुनिश्चितता अन्य लक्षित कोटा कार्यक्रम समेत | ३० |
| ४ | महिलाहरुको रोजगारी र आय आर्जन अभिवृद्धि | २० |
| ५ | महिलाहरुको समयको प्रयोगमा गुणात्मक सुधार तथा कार्यबोझमा कमी | १० |
| | जम्मा | १०० |

# जलवायु परिवर्तन बजेट अनुसारको व्यय अनुमान
## आर्थिक वर्ष २०८०/८१

अनुसूची - १०
(रु.हजारमा)

| विवरण | प्रत्यक्ष लाभ | अप्रत्यक्ष लाभ | तटस्थ | जम्मा |
|---|---|---|---|---|
| २०१ प्रदेश व्यवस्थापिका | ० | ० | १९०८१४ | १९०८१४ |
| २१० प्रदेश लोक सेवा आयोग | ० | ० | ९५००० | ९५००० |
| ३०१ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय | ० | ० | १३०८३०५ | १३०८३०५ |
| ३०५ आर्थिक मामिला मन्त्रालय | ० | ७११४८६ | ० | ७११४८६ |
| ३०७ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय | १४२४११३ | ११८८६५ | ३४५०० | १८१३४५८ |
| ३११ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय | ७१४९६९ | १२६८००४ | २३१०० | २००५९६६ |
| ३१४ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय | ० | ० | ३९३००० | ३९३००० |
| ३३२ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय | ९८०६१४४ | ३३४४६४१ | ४३१००० | १३५८१८१५ |
| ३५० सामाजिक विकास मन्त्रालय | १०४९२७ | ४००८६४७ | ३१०५३१६ | ४२११९१० |
| ३९१ प्रदेश योजना आयोग | ३०४९० | ० | ० | ३०४९० |
| ४०१ अर्थ - वित्तीय व्यवस्था | ० | ३००००० | ० | ३००००० |
| ६०२ अर्थ - विविध | १०००००० | ० | ४७४७१७ | १४७४७१७ |
| ८०१ स्थानीय तह | ० | २३४४५७० | ० | २३४४५७० |
| जम्मा खर्च | १३,२०,२९,७६ | ९,७८,७२,१४ | ६,२७,४३,४१ | २९,२६,४५,३१ |

| संकेत | जलवायु परिवर्तन बजेट | रकम | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| १ | प्रत्यक्ष लाभ | १३२०२९७६ | ४५.११ |
| २ | अप्रत्यक्ष लाभ | ९७८७२१४ | ३३.४४ |
| ३ | तटस्थ | ६२७४३४१ | २१.४४ |

# संघ अनुदानका वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सारांश

## आर्थिक वर्ष २०८०/८१

अनुसूची - ११
(रु.हजारमा)

| दातृ संस्था | जम्मा | अनुदान | | | | | वैदेशिक ऋण | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | जम्मा | नगद | सोझै भुक्तानी | शोधभर्ना | वस्तुगत | जम्मा | नगद | सोझै भुक्तानी | शोधभर्ना |
| **बहुपक्षिय** | ९८,४२,०० | १०,४३,०० | ७,५०,०० | ० | २,९३,०० | ० | ८७,९९,०० | ० | ० | ८७,९९,०० |
| **ए डि बी** | १०,९३,०० | १,८३,०० | ० | ० | १,८३,०० | ० | ९,१०,०० | ० | ० | ९,१०,०० |
| ए डि बी | १०,९३,०० | १,८३,०० | ० | ० | १,८३,०० | ० | ९,१०,०० | ० | ० | ९,१०,०० |
| **आई डी ए ( वर्ड बैंक)** | ७७,००,०० | ० | ० | ० | ० | ० | ७७,००,०० | ० | ० | ७७,००,०० |
| आई डि ए | ७७,००,०० | ० | ० | ० | ० | ० | ७७,००,०० | ० | ० | ७७,००,०० |
| **यु एन** | ७,५०,०० | ७,५०,०० | ७,५०,०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| यु एन - जी इ एफ | ७,५०,०० | ७,५०,०० | ७,५०,०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| **एस.इ.एस.पी.** | २,९९,०० | १,१०,०० | ० | ० | १,१०,०० | ० | १,८९,०० | ० | ० | १,८९,०० |
| एस.इ.एस.पी. | २,९९,०० | १,१०,०० | ० | ० | १,१०,०० | ० | १,८९,०० | ० | ० | १,८९,०० |
| **द्विपक्षीय** | २,८०,०० | २,८०,०० | २,८०,०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| **स्वीट्जरल्याण्ड** | २,८०,०० | २,८०,०० | २,८०,०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| स्वीट्जरल्याण्ड-एस डी सी | २,८०,०० | २,८०,०० | २,८०,०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| **संयुक्त कोष** | २७,६६,०० | २७,६६,०० | ७,८४,०० | ० | १९,८२,०० | ० | ० | ० | ० | ० |
| **संयुक्त कोष** | ३९,०० | ३९,०० | ३९,०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| जेफम्याट | ३९,०० | ३९,०० | ३९,०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| **गाभी** | ७,४३,०० | ७,४३,०० | ७,४३,०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| गाभी | ७,४३,०० | ७,४३,०० | ७,४३,०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| **जी ए ऐफ एस पी** | ९८,०० | ९८,०० | ० | ० | ९८,०० | ० | ० | ० | ० | ० |
| जी ए ऐफ एस पी | ९८,०० | ९८,०० | ० | ० | ९८,०० | ० | ० | ० | ० | ० |
| **सेभ द चिल्ड्रेन** | २,०० | २,०० | २,०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| सेभ द चिल्ड्रेन | २,०० | २,०० | २,०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| **दाताको संयुक्त कोष** | १८,८४,०० | १८,८४,०० | ० | ० | १८,८४,०० | ० | ० | ० | ० | ० |
| दाताको संयुक्त कोष | १८,८४,०० | १८,८४,०० | ० | ० | १८,८४,०० | ० | ० | ० | ० | ० |
| **कुल जम्मा** | १,२८,८८,०० | ४०,८९,०० | १८,१४,०० | ० | २२,७५,०० | ० | ८७,९९,०० | ० | ० | ८७,९९,०० |

# दिगो विकास लक्ष्य संकेतका आधारमा विनियोजित रकम

## आर्थिक वर्ष २०८०/८१

अनुसूची - १२
(रु.हजारमा)

| दिगो विकास संकेत | दिगो विकास लक्ष्य | रकम | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| ० | सांकेतीकरण नगरिएको | ७३०१८९६ | २४.९५ |
| १ | गरिबीको अन्त्य | १५४९३२० | ५.२९ |
| २ | शून्य भोकमरी | ८२४७३१ | २.८२ |
| ३ | स्वस्थ जीवन | २७५७५२२ | ९.४२ |
| ४ | गुणस्तरीय शिक्षा | ८९९४९५ | ३.०७ |
| ५ | लैङ्गिक समानता | ९७६१२१ | ३.३४ |
| ६ | दिगो सफा पानी तथा सरसफाइ सेवा | १७५५८११ | ६ |
| ८ | समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा मर्यादित काम | ८२४५३१५ | २८.१७ |
| ९ | उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार | ३७२५५६ | १.२७ |
| १० | असमानता न्यूनीकरण | ५९१८२३ | २.०२ |
| ११ | दिगो शहर र बस्तीहरू | ६०८७६१ | २.०८ |
| १२ | दिगो उपभोग तथा उत्पादन | १६६२० | ०.०६ |
| १३ | जलवायु परिवर्तन अनुकुलन | २४२४६८१ | ८.२८ |
| १५ | भूसतह स्रोतको उपयोग | २९३२९० | १ |
| १६ | शान्तिपूर्ण, न्यायपूर्ण र सशक्त समाज | ३९३००० | १.३४ |
| १७ | दिगो विकासका लागि साझेदारी | २५४९९० | ०.८७ |
| | कुल जम्मा | २९,२६,५९,३२ | १०० |